[Shri N.K.P. Salve]

more with what you have said, but only one point I want to make clear on behalf of my party Members. Madam, it was agreed and you were the one who conveyed the sentiments to the Opposition Members and fortunately in your presence I am saying this to put the record straight that when we were there together, two things were agreed to between us and the Opposition. Our people were there—five or six of us— and they were there—about eight or ten of them. It was agreed between us that we should have audience of the Chairman separately. We went to another room and waited there.

In your presence, Madam, there was one more agreement which was entered into. And we did not know what was going to be the ruling of the Chair. It was agreed as gentlemen between them and us that whatever be the ruling, we will abide by it and we are not going to create any furore, we are not going to create any unruly scene.

Thereafter, Madam, what has happened here is something which I have not seen in 22 years of my parliamentary life. This kind of demeanour brings disgrace to the entire institution of Parliament. People have certainly not sent us for this kind of thing. Much different things are expected out of us.

But you will kindly give us credit for one thing—that we tried to carry on the business according to the orders of the Chair for very long and when things became absolutely impossible—what we did Madam, primarily was to protect the dignity and orders and directions of the Chair itself and therefore if any of our Members, if you feel, has acted in a manner unworthy of the demeanour expected of us, I apologise to you, Madam, and I apologise to Parliament, but I want to submit to you, Madam, that we were forced into it, not of our own volition, but by the extremely unworthy behaviour of the Opposition today.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I also want to bring one thing on record for the safety and security of the staff and the working of Parliament House that the mikes were misused and that is the reason why some of the mikes were not working because they overworked with loud voices and if anybody feels that some of the mikes were not deliberately made to work, I want to absolve the Secretariat and the people who are working that system that it was because they were overworked and that the mikes were absolutely all right.

SHRI MADAN BHATIA: Madam, I only want to submit to you, though it has fallen from you that the discussion on the Budget should start, that I had sought your permission. Therefore, I was making this statement...and I reserve my right to make a fuller expression of my views at another stage when you, Madam, permit me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sure, at the appropriate time every Member would be given a chance. Now we are going back to the Budget.

बस अब कोई नहीं बोलेगा। ... (व्यवधान)....

BUDGET (GENERAL) 1989-90—Contd.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Madam, just before starting the Budget, we spoke on the Budget--myself and Darbara Singh.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you spoke.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: But in the noisy scenes, I do not know whether it has come on the record or not. If you allow us to speak again, that is your privilege.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, I don't think. If the time permits, we might ask you to give some points on the Budget. But now Dr. Jagannath Mishra will make a speech on the Budget. He has just walked in. Your name was call-

ed, Mr. Mishra in the morning, but you were not there. Now we are allowing you to make your speech.

डा० जगन्नाथ मिश्र (बिहार) : उप-सभापति महोदया, श्री चव्हाण साहब ने जो बजट पेश किया है वह एक दिशा-निर्देशन का बजट है । समाजवादी रूप-रेखा का एक स्पष्ट संकेत है । जिन कठिनाइयों से यह राष्ट्र पिछले वर्षों में गुजर रहा है, आर्थिक क्षेत्र में वहां नई उपलब्धियां अर्जित हुई हैं । इस आर्थिक संकल्प के कारण, नीतियों के कारण इस बजट से इस तथ्य को बल मिलता है कि सामाजिक न्याय, वित्तीय स्थायित्व और औद्योगिक विकास की गति तेज करने के साथ-साथ उद्योगों का आधुनिकीकरण करने, और विकास के मामले में देश को स्वालंबन की ओर बढ़ाने को अधिक बल मिलेगा ।

[उप सभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए]

इस बजट से ऐसे संकेत मिलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में चिन्तन, मध्यम आय वर्ग के लोगों के बारे में, निश्चित आय वर्ग वालों के संबंध में एक स्पष्ट नीति सरकार की ओर से प्रदर्शित की गई है । यह भी स्पष्ट लगता है कि जो सुखाड़ की समस्या लगातार इन राज्यों में रही उससे कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा जिसकी वजह से सहायता की मद में, गैर योजना व्यय में विस्तार हुआ था और फिर खाद और दूसरे अनुदान के मद में, ऋण पर भी जो सूद दिया जाता है उसमें भी विस्तार हुआ है, जिससे कठिनाइयां अधिक बढ़ रही थीं । लेकिन सरकार की औद्योगिक नीति, कृषि नीति जो पिछले वर्षों में चल रही है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है । इसके कारण कि हमारे आर्थिक विकास की गति तेज हुई, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन में निरंतर विकास हुआ है, निरंतर बढ़ोत्तरी हुई है । इस सुखाड़ से जो आर्थिक चुनौतियां आई थीं उन पर काबू पाया गया है और मिसाल है कि 9 प्रतिशत हमारे औद्योगिक उत्पादन में, आर्थिक विकास की गति में तेजी आई है और 17-18 प्रतिशत कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है । हमें 5 प्रतिशत से अधिक संपूर्ण आर्थिक विकास की गति में सफलता मिली है जो हमारे वित्तीय नीति की सफलता का परिणाम है पिछले वर्षों में ।

साथ ही यह भी स्पष्ट है कि हमारे घाटे की जो स्थिति बनी थी पिछले सालों में उसमें बढ़ोतरी होती गई है, वह हमारे लिए एक चिन्ता की बात जरूर है । लेकिन इसे कम करने की पूरी कोशिश हमारे वित्त मंत्री जी ने की है और उससे भी यह लगता है कि पिछले 1980-81 के बाद जो घाटे का क्रम चला वही निरंतर बढ़ता गया है। वह 1988-89 से 7486 करोड़ है जो पिछले 5 वर्ष की तुलना में चार गुना अधिक है । राज्यों की स्थित और भी निराशाजनक है । इस मामले में 1987-88 में 12 राज्य अपने योजना उप व्यय का भार वहन नहीं कर सके थे । 1979-80 से लगातार केन्द्रीय राजस्व खाते में घाटा बढ़ता गया है । पिछले 10 वर्ष में राजस्व व्यय में राजस्व-प्राप्ति की तुलना में अधिक बढ़ोत्तरी हुई है । पिछले 10 वर्ष में 14 प्रतिशत राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है जब कि राजस्व आय में केवल 11 प्रतिशत की वद्धि हुई है । 1981-82 में 2298 करोड़ घाटे के स्थान पर 1987-88 में 8496 करोड़ का घाटा हुआ है ।

यह बात भी सही है कि रक्षा व्यय में जो 30 प्रतिशत हमारा कुल व्यय था वह स्थिर रहा है, लेकिन 1980-81 से कर्जे के सूद में 22 से 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और विभिन्न वस्तुओं के अनुदान मद में 13 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । निकट भविष्य में सूद वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि सरकार के साधन प्राप्ति के जो जरिए हैं उनमें अधिक वृद्धि होने की संभावना नहीं है । इसलिए उनको अपने साधनों पर निर्भर करना पड़ता है । कर्जे से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ती है ।

यह बात भी सही है कि गैर योजना व्यय में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ सार्वजनिक

[डा० जगन्नाथ मिश्र]

प्रतिष्ठानों में होने वाले मुनाफे में ह्रास हुआ है। एक कमी और रही है कि जो हमारे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर हैं उनकी वसूली भी पूरी नहीं हो पाती है। जहां 1984 में 2773 करोड़ रुपये वसूल नहीं हो पाये वहां 1987 में 5533 करोड़ हो गये। यह भी एक मुद्दा है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि क्यों वसूल नहीं कर पाते। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि सरकार पर घरेलू राष्ट्रीय कुल उत्पादन का 64 परसेंट यानी 2 लाख 59 हजार। 1155 करोड़ 1986-87 में था वहां 1 लाख 6 हजार करोड़ का कर्जा है। 59 लाख 935 करोड़ का दूसरा बकाया है इस पर सूद देना पड़ता है।

मूल्य वृद्धि भी चिन्ता का विषय है लेकिन यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले साल में मुद्रास्फीति पर काबू पाया है। सूखे के कारण उत्पादन में ह्रास के बावजूद पिछले चालीस सालों में हरित क्रांति के जरिये से कृषि में विकास लाने में सफलता हासिल की थी। इसके प्रभाव से, या जो कृषि के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था उन सब से कृषि उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होती रही है जिसके कारण मुद्रास्फीति को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लेकिन एक मुद्दा जरूर अधिक चिन्ता का बनता है वह है व्यापार संतुलन का। पिछले दो वर्षों में 1986-87 और 1987-88 के निर्यात में क्रमश: 25 और 20 परसेंट की वृद्धि हुई है जबकि 1985-86 में 4 परसेंट का ह्रास हुआ था। 1986-87 और 1987-88 वर्ष में आयात में क्रमश: 9.2 परसेंट और 11.4 परसेंट की वृद्धि हुई है। जब कि 1985-86 में 22 परसेंट की हुई थी। इसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घाटा 7500 करोड़ से घटा कर 1987-88 में 6624 करोड़ हो गया। विदेशी मुद्रा कोष में ह्रास होना एक चिन्ता का विषय है। इसलिए निर्यात को प्रोत्साहन देना और आयात को घटाना इस समय हमारा एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्ताव में ऐसे उपाय किये हैं जिससे निर्यात को प्रोत्साहन हो और अपने देश में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को हम तरजीह दे सकें, प्रोत्साहन दे सकें जिन वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है। एक्सपोर्ट पर सुविधाएं दे रहे हैं। एक्सपोर्ट से जो मुनाफ़ा कमाया जाता है उनमें आयकर में छूट देते हैं उससे अधिक निर्यात की सम्भावना होती है।

एक बड़ी विशेषता इस बजट की है जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा ग्रामीण क्षेत्र के बारे में काफ़ी सोच दिखाई गयी है। पहले से सोच चली आ रही है। हमारी योजना है जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम कहते हैं। भूमिहीन नियोजन गारन्टी कार्यक्रम कहते हैं उन्हें समेकित किया गया है। इसके लिए इस बजट में 1711 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है जो एक प्रशंसनीय कदम है। लेकिन एक नयी बात हुई है कि जो हमारे देश के सबसे पिछड़े जिले हैं जिनकी संख्या 120 बतायी गयी है उनके लिए एक नया कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू नियोजन कार्यक्रम चलाया गया है उसके लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ये दोनों योजनाएं सम्मिलित प्रयास से प्रत्येक परिवार में कम से कम एक आदमी को नियोजन दिया जा सकेगा। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग जो हैं उनके मन में एक नयी उम्मीद जगेगी। ऐसा लगता है उनके बारे में गम्भीरता से सोचा जा रहा है।

इसके साथ ग्रामीण क्षेत्र के बारे में नयी सुविधाएं आयी हैं। जैसा कि नारायण दत्त तिवारी जी ने पिछले साल फ़सल बीमा के सम्बन्ध में, कृषि ऋण के सम्बन्ध में, और किसान सुविधाओं के बारे में एक कार्यक्रम पेश किया था उसी के अगले क्रम में नई सुविधा है। हम देखते हैं इस वर्ष भी वित्त मंत्री जी ने यह दिखाया है कि जो किसान खेत के काम के लिए 25 हजार रुपये तक कर्ज लेंगे उनके सूद में दो परसेंट की कमी दिखायी जायेगी। यानी 14 परसेंट के बदले में उन्हें केवल 12 परसेंट देना होगा। इसके अलावा एक विशेषता की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों से चार हजार करोड़ रुपये अधिक ऋण बांटे जाने का उपबन्ध किया गया है।

एक उपबन्ध किया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुखाड़ के कारण जो सरचार्ज लग रहा था उस सरचार्ज को माफ किया जा रहा है, लेकिन 50 हजार से अधिक आय वाले जो लोग हैं उन पर नियोजन कर की हैसियत से 8 प्रतिशत का सरचार्ज लगाया जा रहा है जिसकी सराहना होनी चाहिए । एक अच्छी बात है । साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में जो बिना आवास के लोग हैं उनको सुविधा देने के बारे में पिछले साल ही प्रधान मंत्री ने आवास बैंक की स्थापना की बात की थी, उसके जरिए सहायता देने की बात की थी । इस वर्ष के बजट में प्रोत्साहन देने का काम किया है कि आवास बैंक मे जो पैसे रखें जायेंगे उन पर आयकर नही लगेगा और जो आवास ऋण वापस होगा वह भी आयकर से मुक्त होगा । इसके अलावा जो सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं उनके बारे में सुझाव है कि उनके उपादान की जो राशि है या सरकार की सुविधा से अर्जित पैसे हैं उन पर भी आयकर नहीं देना पड़ेगा । इसके अलावा जो हमारे निश्चित आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए सोचा गया है कि जो 18 हजार से 25 हजार के बीच के वाले लोग हैं उन पर 25 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत कर लगेगा । इससे उनके मन को दिलासा दिलाई गई है । लेकिन सरकार की दृष्टि में जो अधिक खर्च करने वाले लोग हैं उनका व्यय-कर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है । इसका मतलब यह है कि इस बात का संकेत मिलता है कि वित्त मंत्री ने यह दृष्टि रखी है कि जो अपने सामर्थ्य से देने को योग्यता रखते हैं, जो अमीर लोग हैं, उन पर कर लगाया जाये, उन पर कर का बोझ दिया जाये । लेकिन जो सामान्य जन हैं उन पर कर का बोझ कम कर किया जाये । आप देखेंगे कि बजट प्रस्तावों में उत्पादन शुल्क में 5 प्रतिशत की बढोत्तरी की गई है । लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो सामान्य जन के उपभोग की वस्तुएं हैं उन पर कर न लगाने का प्रयास किया गया है । यह प्रयास किया गया है कि विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाया जाय जैसे कि पांच सितारा होटलों में ठहरने पर और हवाई जहाज से जाने पर या विदेश जाने वालों पर कर का प्रावधान किया गया है या जो रंगीन टी०वी० रखते हैं, दूसरे इलेक्ट्रानिक चीजें रखने की क्षमता रखते हैं उन पर कर लगाया गया है । लेकिन वहीं पर सस्ते टी०वी० पर कर कम किया गया है मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1956 में श्री टी०टी० कृष्णामचारी जी ने बजट पेश किया था तो उनके बजट को समाजवादी बजट की संज्ञा दी गई थी । उस बजट के हिसाब से इस बजट में संकेत मिलता है कि हालांकि 1985-86 के बजट प्रस्तावों की आलोचना हुई थी और यह कहा गया था कि उसमें अमीरों के पक्ष की बात हुई है, बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की बात हुई है और गरीबों के हितों की हालांकि कोई उपेक्षा नही हुई है, लेकिन फिर भी ऐसी धारणा बनी, प्रतिमा बनी थी । मुझे लगता है कि इस साल का बजट उस बजट से हट कर, उससे डिपार्चर होकर बना है और पुराने समाजवादी रास्ते पर है और उस रास्ते पर फिर से हम वापस आ रहे हैं और समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं जो 1985-86 का बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे वे आज हमारी आलोचना करते हैं, हमारी नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करते हैं लेकिन उस बजट को समाचार-पत्र के लोगों ने, हमारे साथियों ने, थैचर बजट की संज्ञा दी थी । आज हमारे विपक्ष के लोग भारत सरकार की और हमारे नेतृत्व की आलोचना करते हैं लेकिन उनकी अपनी दृष्टि क्या थी, उनकी अपनी मंशा क्या थी वह 1985-86 के बजट प्रस्तावों को देखने से पता चल जाएंगी लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है कि श्री एस० बी० चव्हाण जी ने इस बात को महसूस किया है और वे वैसी कोशिश में लगे हुए हैं जिससे आगे हमारा रास्ता साफ हो सके । हम जानते हैं कि समाजवादी रास्ते पर जाने का सबसे बड़ा सबूत यह मिलता है कि हमने प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष कर में जो बढ़ोत्तरी की है उसमें हमने यह अनुपात बनाकर रखा है, हम ऐसे काम करने वाले हैं जिससे कि अमीरों की चीजें हम गरीबों के बीच में लाएंगे, गरीबों में बांटेंगे ।

[डा० जगन्नाथ मिश्र]

ऊंची आय वाले जो बड़े लोग हैं उनकी आय में से कुछ लेकर हम गरीबों को देंगे और उनको साझीदार बनायेंगे। इसलिये इस बजट की विशेषता मुख्य-रूप से यही है कि हम समाजवादी दर्शन पर फिर से वापस जा रहे हैं और इसको आगे ले चलने की हमारी पूरी कोशिश होगी।

3.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और प्रत्यक्ष करों के प्रस्ताव रखे गये हैं उनमें 1287 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी और उसमें से 903 करोड़ रुपया स्पष्टरूप से केन्द्र के खाते में केन्द्र सरकार का होगा और 384 करोड़ रुपये राज्यों को मिलेंगे ऐसा लगता है कि इसमें राज्यों की कठिनाइयों के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। इस बजट में जो राज्यों की हिस्सेदारी हो सकती है उसको बढ़ाने की कोशिश भी है। साथ ही साथ यह भी देखने की बात है कि बजट प्रस्तावों में जो 1287 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रशासनिक निर्णय से जिसको प्रशासनिक मूल्य कहते हैं उसके जरिये से भी 1676 करोड़ रुपये प्राप्त करने का उपबंध किया गया है, पिछले जनवरी महीने से अभी तक और इस प्रकार से 2963 करोड़ रुपये का भार सामान्य जनों पर है और हम समझते हैं कि मुद्रा-स्फीति पर इसका कोई व्यापक असर नहीं पड़ेगा। सरकार की ओर से भी दावा किया गया है और हम इस बात को महसूस करते हैं कि इससे कोई परि-स्थिति नहीं बनने वाली है जिससे हम यह महसूस कर सकें कि कोई परि-स्थिति बनने वाली है। एक बात विचार करने योग्य जरूर है कि सरकार को गैर योजना व्यय का दबाव मुख्य रूप से सहायता, रक्षा, अनुदान और ऋण पर सूद से हुआ है अगर आप दो-तीन साल के आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि 1986-87 में 23954 करोड़ रुपये, 1987-88 में 30908 करोड़ रुपये और 1988-89 में 35369 करोड़ रुपये हुआ है इसके बावजूद योजना व्यय में पिछले साल 16.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और इस साल 20 प्रतिशत की बढ़ो-त्तरी हुई है। यह भी भारत सरकार के लिये शाबासी की बात है कि गर योजना व्यय में विस्तार के बावजूद भी योजना व्यय में कटौती नहीं होने दी है। बल्कि इसमें विस्तार ही किया गया है, बढ़ोत्तरी ही की है जिसका अच्छा असर हमारे यहां पड़ा है। 1988-89 वर्ष के मुख्य विशेषता उत्पादन बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना और पूर्ण आर्थिक विकास करते करते मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित करना रहा है और हम ऐसा मानते हैं कि सरकार का जो यह उद्देश्य रहा है उसमें सरकार पूर्ण सफल रही है जो मुद्रा-स्फीति की स्थिति रही है उससे भी हम इस बात को महसूस करते हैं हालांकि 1987-88 वर्ष काफी कठिनाईयों का वर्ष था किन्तु मौद्रिक और वित्तीय नीति के संचालन के कारण यह वर्ष बहुत ही सफल साबित हुआ है। 1987-88 के बजट में घाटा 7683 करोड़ रुपये का था जो कि 1986-87 की तुलना में 16 प्रतिशत कम था जब कि 150 करोड रुपया पिछले साल था। महोदय, सार्वजनिक प्रति-ष्ठानों में भी हमारी सफलता हुई है मुनाफे की दृष्टि से जो आर्थिक समीक्षा सरकार की ओर से प्रसारित हुई है उसका गहराई से अध्ययन करने से पता लगता है कि हमने पिछले सालों के बनिस्बद 1771 करोड़ के बदले में 2183 करोड़ रुपये का मुनाफा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो बार-बार सार्व-जनिक प्रतिष्ठानों की कुशलता बढ़ाने पर बल दिया गया उससे यह कुशलता लाई गई है। लेकिन यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिये कि हमने अपने देश में आर्थिक उद्देश्यों के लिये सार्व-जनिक प्रतिष्ठानों के महत्व को स्वीकार किया है और कमांडिंग हाइट्स को

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया था और वर्तमान सरकार ने भी मंजूर किया है। लेकिन हमारे देश के कुछ अर्थशास्त्रियों और इसी प्रकार हमारे समाचार पत्रों के कुछ लेखक जो हैं उन लोगों की ओर से यह बात प्रसारित करने की कोशिश हुई है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठान विफल हो रहे हैं और इस तरह से सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के महत्व को कम करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने बार-बार इस बात को दोहराया है कि हम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की महत्व को कम नहीं करना चाहते हैं और उनके महत्व को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि सरकार को उनकी कुशलता बढ़ानी चाहिये। उनके घाटे में जाने से जनता पर भार पड़ता है। इसलिये उनका अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिये। लेकिन निजी प्रतिष्ठानों की हालत भी बड़ी अच्छी नहीं है। हमने आर्थिक समीक्षा में देखा है कि 1 लाख 57 हजार रुग्ण उद्योग बन गये हैं। इन उद्योगों में भी 57 सौ करोड़ रुपया हमारे बैंकों का लगा हुआ है। उनकी हालत भी कोई अच्छी नहीं है कि वे यह कह सकें कि सार्वजनिक उद्योगों की हालत खराब है और निजी प्रतिष्ठानों की हालत अच्छी है। जो कोई भी अर्थ शास्त्री या सामाजिक चिन्तक कहता है कि निजीकरण जो आज पश्चिमी यूरोप के प्रयोग में लाया जा रहा है उन देशों में भी इस बात को दोहराया जा रहा है या अन्य समाजवादी देशों में भी आर्थिक नीतियों में कुछ मिलावटें आने की सम्भावनायें हो रही हैं इस का कोई कारण नहीं है कि हमारे यहां भी किया जाये। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हमने 1956 में जो औद्योगिक नीति निर्धारित की थी उस में परिवर्तन या संशोधन का कोई आधार नहीं हो सकता है। आधारभूत और मूल उद्योग जो हमारे रक्षा संबंधी उद्योग हैं वे पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के ही होने चाहिये उनमें मिलावट के हम घोर विरोधी हैं। पिछले दिनों प्रश्नोत्तर काल में भी रक्षा मंत्रालय की ओर से जवाब दिया जा रहा था उस में भी हमारी घोर आपत्ति थी। रक्षा मंत्रालय के सभी उद्योग निश्चित रूप से सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिये सुरक्षित रहने चाहियें वहां निजी प्रवेश नहीं होना चाहिये। अगर प्रतिष्ठानों में कमजोरियां आई हैं तो उनको दूर करने के लिये बात सोचनी चाहिये। लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि जो आर्थिक दर्शन हमने स्वीकार किया है उससे हमारा अलगाव हो जाये क्योंकि यह मुल्क गरीबों का है, पिछड़ी आबादी का मुल्क है, हरिजनों-अल्पसंख्यकों और ऐसे लोगों का मुल्क है जिन्हें आर्थिक और सामाजिक सुविधायें बरसों तक हम नहीं दे पाये हैं। उनको हम राज्य की ओर से सुविधा दे सकते हैं। अगर हमारे आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण नहीं होगा, और आर्थिक क्षेत्र में अगर मुट्ठी भर लोगों का, सीमित लोगों का नियंत्रण होगा तो जो सामाजिक, आर्थिक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है संविधान के मूलभूत अधिकारों में या राज्य के निदेशक सिद्धांतों के तहत उन उद्देश्यों की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। इसलिये निश्चित रूप से राज्य के हाथ में सारी आर्थिक शक्ति होनी चाहिये लेकिन कोशिश यह होनी चाहिये कि आर्थिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हो जिन लोगों के हाथ में आर्थिक शक्तियां केन्द्रित होती गई हैं वह हमारी राजनीति और हमारे देश की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिये जरूरी है कि लोकतंत्र को मजबूत करने और सामान्य लोगों के प्रवेश बनाए रखने के लिए ऐसी आर्थिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना चाहिये। हमारी योजना का भी एक मुख्य लक्ष्य रहा है कि हममें जो आर्थिक असमानता है उसको पाटेंगे। हमारी बजट प्रणाली का भी एक उद्देश्य होता है कि जो विषमतायें हैं उन्हें पाटना चाहिये। हमें कर प्रणाली ऐसी बनानी चाहिये जिसमें बड़े लोगों का

[डा० जगन्नाथ मिश्र]

धन लेंगे और उसका वितरण गरीब लोगों में करेंगे। अमीरों से हमारा लेने का काम है और गरीबों में बांटने का काम है। स्वर्गीय इंदिरा जी के समय में भी यह हुआ करता था। उस परम्परा को हमें कायम रखना चाहिये। इंदिरा जी ने 1971 में जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था उस नारे ने देश को बड़ा प्रभावित किया था और आज उसी क्रम में दोबारा इंदिरा जी के नारे को हमें सकारात्मक रूप देना चाहिये। प्रधानमंत्री ने इस बजट के द्वारा पुन: आश्वस्त किया है कि हम उस रास्ते से अलग नहीं हट रहे हैं। अभी प्रधान मंत्री जी ने बेरोजगारी हटाने का संकल्प दोहराया है, उसी दिशा में यह एक नया कदम है और इस बजट में इस प्रयोजन के लिये सरकार ने पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी स्कीम को सरकार ने एक साथ किया है यह उसी दिशा में एक कदम है। इससे लगता है कि इंदिरा जी ने जो कार्य हमको दिया था उसे हम सफलता से आगे ले जा सकेंगे। इसलिये वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध है। जो एक छवि अनावश्यक रूप से बनाने की कोशिश हो रही है कि राजीव गांधी की सरकार अमीरों के पक्ष की है, सुखी लोगों के पक्ष की है, शहरी लोगों के पक्ष में है, गरीबों के हितों की हिफाजत नहीं करती है यह छवि अनावश्यक रूप से जनता के सामने पेश करने की कोशिश हुई है लेकिन इस बजट से वह तमाम भ्रम हमारे समाप्त हो रहे हैं जो आरोप पिछले सालों में लगते रहे हैं उन आरोपों की समाप्ति हो रही है। हालांकि नारायण दत्त तिवारी जी ने पिछले साल बजट में इसे प्रारम्भ किया था और इस साल उसको और अधिक बल मिल रहा है और गरीबों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजना की आज बहुत ही जरूरत है क्योंकि जो हमारे आर्थिक विकास का लाभ होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है। आज हमारी प्रणाली जो है उस प्रणाली से उसका फल सामान्य लोगों तक जा नहीं सकता है। कुछ लोगों तक वह कैद हो जाता है, केन्द्रित हो जाता है। इसलिए हमारी योजनाएं और हमारे कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से गरीबों के बीच में जा सकें और गरीबों के बीच में जाने की इच्छा से ही इसलिए इस तरह का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री 12 करोड़ रुपयों का उपबंध कर रहे हैं कि जो हमारी अत्यंत गरीब, दरिद्रतम महिलाएं हैं उनमें साड़ी बांटी जाये। यह अच्छा कदम है, प्रशंसनीय कदम है। लेकिन हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि इस साल तो हम साड़ी बांट देंगे लेकिन अगले साल ऐसी स्थिति बन जाये कि वे महिलाएं ऐसी स्थिति में हों कि खुद साड़ी खरीद सकें और तभी हमारी आर्थिक योजनाओं का कोई माने है। इस साल साड़ी बांट कर दे देंगे लेकिन हमारा कार्यक्रम ऐसा चले कि अगले साल उनकी जेब में खुद पैसा हो जाये और तभी इस योजना को हम बड़ा मानेंगे। यह तब होगा जब पूरे हमारे आर्थिक क्रियाकलाप उस हिसाब से संचालित हों जिससे कि उन लोगों को दुबारा हमारे ऊपर कपड़े के लिए निर्भर नहीं होना पड़े बल्कि वे अपने पैसे से उन चीजों को खरीद सकें। इसलिए जो हमारी दरिद्रतम महिलाएं हैं उनकी जेब में हम पैसा डाल सकें, हमारी योजनाओं का यह लक्ष्य है और इस ओर हम कैसे बढ़ सकें इस बात को भी हमें ध्यान से देखना चाहिए। यह तब हो सकेगा जब हम सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करेंगे और यह कायाकल्प करने का क्या रास्ता हो सकता है, यह देखा जाना चाहिए।

साथ ही साथ मैं इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उद्योगों के विस्तार के बारे में जो प्रोत्साहन के ऐलान हुए हैं वे प्रशंसनीय हैं, महत्वपूर्ण हैं। सीमेंट तथा एल्यूमिनियम पर नियंत्रण

समाप्त करने की बात की गयी है वह बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन देखने की बात यह जरूर है कि होता क्या है। अभी खुला बाजार और नियंत्रण के मूल्य में खाई थी, मूल्य विषमता थी लेकिन अगर उपभोक्ता को खुले बाजार की कीमत पर सीमेंट लेना पड़ा तो जो छोटे किस्म के लोग हैं जो नये मकान बनाना चाहते हैं उनकी कठिनाइयां बढ़ जायेंगी। इसलिए सरकार जब सीमेंट पर नियंत्रण समाप्त कर रही है तो सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ गयी है। यह ठीक है कि सीमेंट का उत्पादन बहुत हुआ है। आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे, आप सीमेंट निर्यात भी कर सकेंगे। निर्यात करिये तभी ठीक है आपने नियंत्रण हटा लिया ठीक है, खुला बाजार में दे दीजिए लेकिन उत्पादकों को छूट नहीं होनी चाहिए कि वे प्राइसेज को मैनूपुलेट करके इतनी ऊंची कीमत कर लें जिससे कि उपभोक्ताओं की कठिनाई बढ़ जाये। लोग बड़ी सावधानी से इंतजार कर रहे हैं कि जो नियंत्रण आपने समाप्त किया है वह सामान्य जनों के हित में किया है या जो उत्पादक है उनके हित में किया है। यह एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि अंततोगत्वा इसका लाभ किसको मिलने जा रहा है यह बड़े उद्योगपतियों को मिलने जा रहा है क्या ? इससे आपकी आलोचना होगी, सरकार की आलोचना होगी। जो सरकारी कीमत थी उसी कीमत पर अगर आप लोगों को सीमेंट खुले तौर पर दे सकें तो आपकी सराहना होगी। यह बड़े ध्यान देने की बात है। इसी तरह से आपने एल्यूमिनियम पर भी नियंत्रण समाप्त किया है। यह भी अच्छी शुरूआत है, अच्छी बात है। इस बात को हम ठीक मानते है। यह हम पहले भी कह रहे थे और अभी भी कहते हैं कि जो हमारी नीति रही है यह उस हिसाब से है।

आगे के दिनों में जो हम कार्यक्रम बनाने वाले हैं उनके संदर्भ में मैंने पहले भी कहा था और आज भी इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में बेरोजगारों और गरीब तबके के लोगों के मन में एक बड़ी परेशानी है कि 40 साल की आजादी के बाद भी हम योजनाओं के माध्यम से अपनी प्रणाली के माध्यम से उनके मन में आस्था और विश्वास सृजित नहीं कर पाये हैं और जब विश्वास सृजित नहीं कर पाये हैं तो उनके मन में एक अनास्था जागती है। हमें दो तीन मुद्दों के संदर्भ में विचार करना है और वे यह है कि जो हमारी आबादी है वह हमारी पूरी आबादी संस्थापित क्षेत्रों में परिलक्षित हो रही है या नहीं हो रही है, व्यवसाय में उस आबादी का प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हमारे आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनमें उनका प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिछले 40 साल की हमारी योजनाओं की यह एक कमजोरी दिख रही है और वह यह दिख रही है कि हमने योजना का लाभ सामान्य लोगों को देने की कोशिश तो की है, हमारे उद्देश्य स्पष्ट तो रहे हैं लेकिन हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाये है और जैसा हमने पहले भी कहा कि सीमित लोगों ने आर्थिक लाभों को अपने बीच में केन्द्रित कर लिया है। यह असंख्य जो हमारी 70-80 प्रतिशत गरीब आबादी है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी है उनमें इनका प्रवेश नहीं हो पाया है। हाल के दिनों में हम एक सर्वेक्षण देख रहे थे। उस सर्वेक्षण में हमें जानकारी मिली कि जो हमारी 95 प्रतिशत देहात की आबादी है वह अछूती है इन तमाम सुविधाओं से और संघात्मक नौकरियों में उनके बच्चे आ नहीं पाते हैं। सिर्फ 5 प्रतिशत परिवार ही हमारी ग्रामीण क्षेत्र का है जिनका प्रवेश आधुनिक सुविधाओं में हो सकता है, आधुनिक नौकरियों में हो सकता है, व्यवसाय में हो सकता है।

जब आपने सामाजिक शांति का और सामाजिक न्याय का संकल्प संविधान के तहत लिया है, वह आप पूरा नहीं कर सकते हैं। यह बातें धीरे-धीरे बढ़ती

[डा० जगन्नाथ मिश्र]

जा रही है। क्या हो रहा है कि देहाती इलाके के जो हमारी गरीब और समान जनों के, हरिजनों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों के बेटे है उनका प्रवेश समान रूप से आधुनिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में तथा सरकारी नौकरियों में नहीं हो पाता है और शहरी आबादी जो है, या सरकारी कर्मचारियों या अफसरों के बेटे हैं या जो राजनीतिज्ञों के हैं, उन्हें अधिक सुविधायें होती है। इसलिए वह प्रतियोगिता में आते हैं, सामना करते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान के, मजदूर के बेटे हैं, अगर वह मैट्रिक पास है या बी० ए० पास है, तो उन्हें किरानियों की नौकरी में या चपरासी की नौकरी में ही संतोष करना पड़ता है और इसलिए बहुत बड़ी आबादी है जिनके बच्चे क्योंकि उनकी पहली पीढ़ी शिक्षा में आई है, उनकी मानसिकता प्रतियोगिता के योग्य नहीं बन पाई है। इसलिए सरकारी सेवाओं में उनका प्रवेश खुले तौर पर हो नहीं पाता है।

तो क्या यह जो 95 प्रतिशत ग्रामीण आबादी है, उनके बच्चे सदैव किरानी की और चपरासी की छोटी, तीसरी श्रेणी की नौकरी के लिए बने हुए हैं, क्या वह ऊंची श्रेणी की नौकरी के भी अधिकारी नहीं बन सकते हैं? तो चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत घूमते हैं, हमारा बड़ा साक्षात्कार हुआ है और खास करके हमने बिहार में देखा है, हमारे यहां जो सामाजिक तनाव चल रहा है, उसका मूल कारण क्या है? वहां के पढ़े-लिखे नौजवानों से हमने बातचीत की है कि नौजवानों के मन में हमारे प्रति आक्रोश क्यों हो रहा है? वह हमारी व्यवस्था के प्रति अनास्था व्यक्त करता है, वह ऐसा महसूस करता है कि बंदूक के जरिए से ही, हिंसा के जरिए से ही हमें हक मिल सकता है। हमारे दक्षिण बिहार के हिस्से में आए दिन आप समाचार-पत्र में पढ़ते होंगे कि सामूहिक हिंसा का दौर चला है और बड़ी घटनायें वहां पर घटती है। अगर आप जानना चाहेंगे कि करने वाला कौन होता है, तो जो नौजवान पढ़ा-लिखा है, उसका बाप, उसके दादा जिन्होंने वर्षों-वर्षों से शोषण और सामंती जुल्म सहा है, वह अभी भी सहना चाहता है लेकिन जो नौजवान मैट्रिक पास करके, बी० ए० पास करके गांव जाता है, तो वह देखता है कि समान स्थिति शहरों में क्या है। सरकारी घोषनायें क्या है और दूसरी जगह क्या बातें होती है। जब वह अपने ऊपर जुल्म देखता है, तो उसके विरोध में खड़ा होता है और वह अपनी जान को जोखिम में डालता है। वह जानता है कि वह पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकता, वह जानता है कि वह गांव के बड़े जमींदारों, जमीन वालों का मुकाबला बिलकुल नहीं कर सकता, फिर भी वह जान की बाजी लगा कर वह क्यों उठ खड़ा होता है? वह महसूस करता है कि जो सरकार की नौकरियां है, जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की नौकरियां हैं या दूसरी तरह की नौकरियां है, वह केवल पहुंच से होती है, रिसोर्स से होती है, समान रूप से वह हमें नहीं मिल सकतीं। इसलिए वह आक्रोश में और परेशानी में है। लेकिन हमें, चुने हुए प्रतिनिधियों को चिंता होती है कि आखिर लोकतंत्र और समाजवादी व्यवस्था की जड़ को मजबूत नहीं करेंगे, तो आप देश का हित नहीं कर सकते हैं और यह देश तब मजबूत होगा जब ऐसी आबादी का विश्वास आप अर्जित कर सकेंगे। ऐसी आबादी को महसूस हो सके कि हमारे साथ न्याय हो रहा है, हमारा हक कोई छीन नहीं रहा है। अगर हमारी पहुंच सरकारी कार्यालय तक नहीं है हमारी पहुंच एम०एल०ए०, एम०पी० के यहां, सरकारी कर्मचारी के यहां भी नहीं है, तब भी जो हमें मिलना चाहिए, वह मिलता है। यह भावना अगर सृजित नहीं होगी, तो यह बातें नहीं चल सकती है।

इसलिए सामाजिक तनाव को समाप्त करने की दृष्टि से यह बहुत ही आवश्यक है कि आप सभी दरवाजे खोले, मुख्य रूप से खोलें।

प्रधान मंत्री जी ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की, देश में एक आशा जगी और लगा कि हम देश में एक नया माहौल शिक्षा नीति से बनाने जा रहे हैं। शिक्षा सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए और सब जा सकें, लेकिन क्या है कि जो शिक्षा मंत्रालय की ओर से वह शिक्षा चुनौती के नाम से प्रकाशित हुआ था "चेलेंज टु एजुकेशन" उसमें भी यह दर्ज किया गया था कि जो हमारे बच्चे नाम लिखाते हैं प्रथम कक्षा में, उनका 77 प्रतिशत आठवीं कक्षा तक जाते-जाते वह बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्राप आऊट कर जाते हैं और केवल 23 प्रतिशत बच्चे ही आगे की पढ़ाई में जाते हैं।

तो एक बात सोचने की है कि यह शिक्षा प्रणाली, यह हमारी सारी व्यवस्था 23 प्रतिशत चुने हुए लोगों को ही है। या जो 77 प्रतिशत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं वह 77 परसेंट कौन से सैक्शन के हैं जो कि पढ़ाई छोड़ देते है? अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वे सब से गरीब तबके के लोग हैं। उनमें सब से अधिक पिछड़ी जातियों की, हरिजनों की, अल्प-संख्यकों और आदिवासियों की आबादी है। क्या इस देश की मुख्य धारा में केवल 23 प्रतिशत लोगों की हिस्सेदारी है? क्या वह 77 प्रतिशत आबादी उन बच्चों की है जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते है और अगर उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो यह हमारे भविष्य के लिए एक खतरा बनने वाला है, यह हमें महसूस करना चाहिए। काफी दिनों से अपने देश में यह बातें होती रहीं कि दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अपने देश में हम चलाते हैं। एक पब्लिक स्कूल सिस्टम चलाते हैं और दूसरा म्युनिसिपल स्कूल और ग्रेम स्कूल का सिस्टम हम चलाते हैं। क्या हो रहा है कि जो सुविधा-भोगी तबका है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी का हो, चाहे राजनीतिज्ञों का हो या ठेकेदारों का हो या गांव के बड़े जमींदारों का हो ऐसे तबकों के बच्चों के लिए एक खास तरह की पढ़ाई है और सामान्य-जन के बच्चों के लिए नगरपालिका के स्कूल हैं या जिला परिषद के स्कूल हैं जो कि गांवों के चलते हैं और उनको आप प्रतियोगिता में लाना चाहते हैं? एक बड़ी सोचने की बात है कि इन बच्चों को हम किन बच्चों के साथ प्रतियोगिताओं में बैठाते हैं उन बच्चों के साथ जो देहरादून के पढ़े हुए हैं, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए है? इनका मुकाबला गांव के, देहात के बच्चों को करना पड़ता है। मानसिकता तो वह हो नहीं सकती और उनकी कितनी भी प्रतिभा होगी वह प्रतिभा उजागर हो नहीं सकती, फिर वह कैसे मुकाबला कर सकता है? 40 साल के बाद राष्ट्रीय जीवन में ऐसा क्षण आया है जबकि इसके लिए आपको गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। जो अंग्रेजों ने प्रणाली चलाई थी कि एक शासक होगा, एक शासित होगा और एक शोषण करने वाला होगा, एक आदमी को शोषित होना पड़ेगा। तो क्या जो ऊंचे सरकारी कर्मचारी हैं या अफसरान है, एम. एल. एज, एम. पीज हैं जिन्हें सुविधाएं मिल गई सरकार की ओर से ऊंची जगहों पर पहुंच गए उनके बच्चों को अधिक सुविधाएं मिलेगीं, प्रतियोगिताओं में वे मुकाबले करेंगे और ऊंची नौकरियों में वे जायेंगे? लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र के किसी बच्चे में प्रतिभा हैं परन्तु उसके पास आर्थिक साधन नहीं है और वह पब्लिक स्कूल में नहीं जा पाता है तो वह कैसे दूसरों के मुकाबले में खड़ा हो सकता है? तो यह कितना एक द्वंद्व है और उप सभाध्यक्ष महोदय इसे हम द्वंद्व ही कहेंगे। ऐसे बच्चों से जिन बच्चों से मैं मिलता हूं जो हमारे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है इन बच्चों में वे ऐसे सवालात हमारे सामने खड़े करते हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। वे कहते हैं हमारे को लोकतंत्र से क्या मिलने वाला है। इसलिए अब यह ऐसा क्षण आया है कि अब आपको इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा देश की इतनी बड़ी आबादी जो इन सुविधाओं से, शिक्षा से अछूती

[डा० जगन्नाथ मिश्र]

है उनको अगर वैसा प्रवेश नहीं होगा, उनके मन में यह भरोसा और विश्वास नहीं होगा कि यह पूरी व्यवस्था उनके पक्ष की है, उनके लिए है तो यह काम नहीं हो सकता। इसलिए वहां भी उम्मीद करते थे कि प्रधान मंत्री ने कुछ उम्मीदें जगाई थीं अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रस्ताव में कुछ बातें कहीं थीं कि गरीबों के पक्ष की कुछ बातें होंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव में कहा गया था कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जो भी परिवार हैं उनके बच्चों की शिक्षा के पूरे खर्च का वहन सरकार करेगी और आखिर जीवन में यह ऐसा क्षण आया है जैसा हमने बता दिया कि 77 प्रतिशत बच्चे जो पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं वे कौन हैं वे गरीब हैं, वे कौन गरीब है वे पिछड़ी जातियों के हैं, जो हरिजन हैं, जो अल्प-संख्यक है, मुसलमान है और दूसरी जातियों के है, कि जिनके बारे में सारी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले। क्या 40 साल की आजादी के बाद भी ऐसा क्षण नहीं आया है कि उनके बारे में कुछ सोचा जा सके? इसलिए यह आवश्यक है कि आप नियोजन व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में करें। जैसे सरह से आज जरूरी है कि गांवों के वे बच्चे जिनमें पढ़ने की लालसा है और संभावना है लेकिन आर्थिक संकट के कारण वे ऊंची पढाई में नहीं जा पाते हैं ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूर्ण खर्च सरकार वहन करें और ऐसी बात होनी चाहिए। हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगले साल के बजट में श्री राजीव गांधी जी निश्चित रूप से आश्वासन दें कि जो हमारी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले बच्चे हैं और अगर वे मिडल या मैट्रिक स्तर तक अपनी तरफ से पढ़ते हैं तो उसके आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, चाहे वह इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज की या वैज्ञानिक पढ़ाई हो इन सब की जिम्मदारी सरकार वहन करेगी। इनमें छात्रों की संख्या अपर्याप्त है, बहुत ही कम लोगों का समावेश हो पाता है इसलिए सब का प्रवेश समान कर देना पड़ेगा। सब के लिए प्रवेश खोल देना पड़ेगा।

सरकार ने अभी नवोदय विद्यालय की बात की है। हमारे यहां सब लोग इस कंसेप्ट के खिलाफ हैं और जैसा आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं स्वयं शिक्षक रहा हूं 20 साल विश्वविद्यालय का शिक्षक रहा हूं, अभी भी मैं विश्वविद्यालय से संबद्ध हूं अप्रत्यक्ष रूप से, मैं नहीं मानता कि सरकार का यह नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट कोई बहुत ही अच्छा है। यह तो फिर से दुबारा समाज को दो भागों में बांटने वाला है, जैसे पब्लिक स्कूल और दूसरे स्कूलों की शिक्षा का विभेद समाज को दो भागों में बांटत रहा है, उसी तरह समाज को दो भागों में यह बांटने जा रहा है। अब इसमें सभी बच्चों का प्रवेश तो हो नहीं सकता। जिस तरह से अब रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूलों के भवन नहीं हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं है, पीने के पानी का बन्दोबस्त नहीं है, शौचालय नहीं है। लगभग सभी के सभी गांवों में यह स्थिति है। तो जिस मुल्क में आप जो स्कूल चलाते हैं और जिसके लिए ब्लैक बोर्ड नहीं दे सकते, आप एक छप्पर नहीं दे सकते, पीने के पानी का हैंडपम्प नहीं नहीं दे सकते, वहां मुल्क में आज क्या ऐसी स्थिति आई है कि एक स्कूल के निर्माण पर एक करोड़ रुपया खर्च किया जाय। अब एक करोड़ रुपया आप एक स्कूल पर खर्च करने जा रहे हैं, 500 स्कूल आप बनाने जा रहे हैं और 500 करोड़ रुपया आप खर्च करने जा रहे हैं यह सोचने की बात है। हमारी नजर में देश की वास्तविकता पर भी जाएगी या नहीं जायेगी? हम जहां बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी जो प्राथमिक आवश्यकतायें हैं, उसकी पूर्ति की क्षमता हमारे पास नहीं है, वित्तीय प्रबंध हमारे पास नहीं हैं, लेकिन उसी मुल्क में ऐसे स्कूल खोल रहे हैं, और जब लोगों को यह बात मालूम होती है कि जिले में स्कूल खुल रहा है उसमें एक करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है तो गांव के लोग हमसे तपाक से पूछते हैं कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल के लिए

ब्लैक बोर्ड तुम्हारे पास नहीं है, हमारे बच्चों को पीने के पानी के लिए ट्यूबवैल देने के लिए पैसे नहीं हैं और यह एक स्कूल पर एक करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो ? तो हमारी यह बात समझ में नहीं आती। यह ठीक है कि गुणात्मक दृष्टि से यह हो सकता है, लेकिन हम जब एक शिक्षक की हैसियत से सोचेंगे तो एक अलग राय बनेगी और जब हम एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से गरीबों के बीच में सोचेंगे तो हमें लगता है कि यह निरर्थक हो रहा है।

महोदय, बेरोजगारों की संख्या आज बढ़ती जा रही है। इसके लिए प्राथमिकता दी है और इस बजट में इसका समावेश करने की कोशिश की है। लेकिन जो नियोजन की संभावना है, उसका बंटवारा तो न्यायपूर्ण होना चाहिये, पंजीकरण तो होना चाहिये। जो नियोजनालय, श्रम विभाग की ओर से भिन्न-भिन्न जगहों पर हैं, उनमें सभी बच्चों का पंजीकरण होता है क्या, इसकी स्थानीय स्तर पर जांच होनी चाहिये और देखा जाना चाहिये कि नियोजनालय न्यायपूर्ण ढंग से नाम अनुशंसित करते हैं या नहीं ? एक बात यह हो रही है कि जिनकी पहुंच नियोजनालयों में होती है उनके पंजीकरण की भी सुविधा और उनके नाम अनुशंसित करने की भी सुविधा होती है। अब जिन जगहों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पहली पीढ़ी है, बहुत बड़े तबके का जिसका प्रवेश शिक्षा में हुआ है, जिसका प्रवेश नौकरी में हो रहा है, उनको पूरी जानकारी नहीं है, ऐसे लोग नियोजनालयों में जाकर अपने बच्चे की सुविधा कैसे लें, उनके लिए समस्या बनी हुई है।

दूसरी बात, हमारे दो-तीन तरह के बेरोजगार हैं, - अर्ध बेरोजगार हैं, पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार हैं, और इन तमाम के बारे में कोई अधिकारिक आंकड़ा हम इतने दिनों तक नहीं बना पाए हैं राज्यस्तर पर, देश के स्तर पर। यह संख्याएं कह दी जाती हैं, लेकिन जरूरी है कि कोई अधिकृत रूप से, एक अध्ययन की दृष्टि से और एक संरक्षण की दृष्टि से यह आंकड़ हों और जिसके स्थिति के बारे में जानकारी हो।

महोदय, यह भी बात उठती है कि शिक्षा का व्यावसायीकरण होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन की बात भी वर्षों से हुई है। कोठारी आयोग ने भी इसकी अनुशंसा की थी और आप इसे नहीं कर पाये। आप देखिए, इसी दस्तावेज में कहा गया है कि कोठारी आयोग की अनुशंसाएं दो कारण से लागू नहीं हो पाई—एक तो इच्छाशक्ति का अभाव था और दूसरा साधन नहीं हुये। जो नई शिक्षा-नीति बनाई है, जहां फिर से आपने व्यावसायी शिक्षा पर बल दिया है। तो क्या सरकार की इच्छा-शक्ति इतनी मजबूत बन पाई है और क्या सरकार ने पास इतने आर्थिक साधन मुहैया हो पाये हैं कि जो रुकावटें आयीं, जो कठिनाई आई, पिछले सालों में, वह रुकावटें और कठिनाइयां आगे नहीं आ पायेंगी। हमारे लोग महसूस करते हैं आपको नए सिरे से बजट प्रस्तावों पर और बजट की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना चाहिये। और सोचना चाहिये कि पहले क्या करना है। दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है। जो हमारी दीर्घकालिक योजनायें हैं, वहां हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जो हमारी अल्पकालिक आवश्यकतायें हैं उसकी अवहेलना या उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। खास तौर पर हमारी शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं उनकी अवहेलना या उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं।

महोदय, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के सिद्धांत को राज्य सरकारों ने मंजूर किया है। बिहार ने भी मंजूर किया है। बिहार में पिछले पांच सालों में पिछड़ी जातियों, हरिजन और आदिवासियों के लिए आरक्षण सम्बंधी जो सिद्धांत हैं उनकी अवहेलना हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी मण्डल आयोग की अनुशंसाएं विचाराधीन हैं। ऐसा हम मानते हैं कि सामान्य योग्यता से सामाजिक बनावट का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है जिसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 14,

[डा० जगन्नाथ मिश्र]

15 और 16 में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर से जो कमजोर तबका है उन्हें आगे लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में यह बातें कही गयी हैं। हमने उसकी प्रस्तावना में ये बातें कही हैं, मूल अधिकार की बातें कही हैं कि हम बगैर जाति, धर्म और लिंग का भेद किए लोगों को समान अधिकार देने वाले हैं। यदि ऐसे तबके के लोगों के बारे में सरकार कोई विशेष फैसला करना चाहे तो इससे कोई रोकता नहीं है। उनको कोई रोकेगा नहीं। इस तरह का आरक्षण का सिद्धांत भिन्न-भिन्न राज्यों में भी हैं। केन्द्रीय स्तर पर भी इस बात पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए कि हम किस तरह उनकी अधिक मदद कर सकते हैं। बिहार में हमने यह बड़ी मजबूती से किया है। उसका प्रशासनिक ढांचा भी हमने तैयार किया और वहां जो सामाजिक तनाव व्याप्त हो गया था उसे समाप्त किया यह चीजें राष्ट्रीय स्तर पर देखी जानी चाहिए।

महोदय, इसी संदर्भ में कुछ बातें हमारे अल्पसंख्यकों के बारे में भी कहना चाहूंगा। अल्पसंख्यकों के बारे में भारत सरकार का ऐलान है, भारत सरकार की घोषणा है और इंदिरा जी का जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम था, राजीव गांधी ने उस कार्यक्रम को दोहराया है कि तमाम अल्पसंख्यकों को वह सुरक्षा देना चाहते हैं। उनके कल्याण कार्यक्रमों की पूरी समीक्षा गृह मंत्रालय के स्तर पर होनी चाहिए कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, कहां क्या रुकावटें आ रही हैं? यह जांच होनी चाहिए और केन्द्र सरकार को इस बारे में बड़ा सख्त होना चाहिए कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो हमारे मुल्क की आवश्यकता के लिए बने हैं, वह पूर्ण रूप से लागू हों। भारत सरकार ने जो अल्पसंख्यक आयोग बनाया है उसे संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। अगर अल्प संख्यक आयोग को आप संवैधानिक स्तर दे सकेंगे तो इससे अल्पसंख्यकों के मन में आपके प्रति विशेष आस्था और विश्वास बन सकेगा।

महोदय, इसके साथ-साथ यह बात भी गौर करने लायक है कि सरकार जो आर्थिक सुविधाएं देना चाहती है वह सही रूप में सही लोगों तक पहुंचे। मैं वित्त मंत्रीजी के भाषण को पढ़ रहा था तो मुझे मालूम हो रहा था कि आप गरीबों के और ग्रामीण लोगों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने आर०एल० ई० जी० पी० और एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम्स के बारे में कहा। तो आप इन लीकेजेज को कैसे रोकेंगे और कैसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मदद दे पाएंगे। इसलिए प्रशासनिक ढांचे को सशक्त और मजबूत करने की जरूरत है। जब तक आप वह नहीं करते, आप 1741 करोड़ रुपया खर्च करिए, वह पैसा बर्बाद हो जाए तो यह मुल्क इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह सोचने की बात है कि इन लीकेजेज को कैसे बंद कर सकते हैं? साथ-ही-साथ मैं यह महसूस करता हूं कि हमारी सरकार और प्रधान मंत्री की ओर से पहले भी और अभी भी यह बात कही जाती रही है कि उर्दू और दूसरी जुबानों के बारे में। तो सरकार को उस बारे में फैसला करना चाहिए। ..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): आप और कितना समय लेंगे?

डा० जगन्नाथ मिश्र : महोदय, 5–10 मिनिट में समाप्त कर रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय की ओर से समय-समय पर जो निर्देश और आदेश दिए गए हैं चाहे वह सांप्रदायिक दंगों के बारे में हों या दूसरे सामाजिक तनाव के बारे में हों, उसका अनुसरण राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं। आखिर भारत सरकार इस मामले में मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी रह सकती। चाहे जिस हाल में इन राज्यों में सांप्रदायिक

दंगे हुए हों—चाहे बंगाल के हों, उत्तर प्रदेश के हों या बंबई के हों या जम्मू काश्मीर के हों या दूसरे कुछ राज्यों में दंगे हुए हैं। इसलिए दंगों की समाप्ति अंतिम रूप से होनी चाहिए अपने मुल्क में बिहार ने एक विशाल प्रयास किया था, जब विशेष अदालतें बनवाकर के बिहार शरीफ में दंगे करने वालों को सजा दिलवाई थी और हमने गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में यह बातें कही थीं कि यह बातें पहले उठती थीं कि दंगे कौन कराता है, लेकिन बिहार में जोतेन नारायण सिन्हा कमीशन ने यह साफ कर दिया और साफ-साफ कहा उसने दंगों के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मजदूर सभा की ओर से ये दंगे कराए गए और हमने जो बिहार शरीफ में स्पेशल कोर्ट बनवाई और उनमें जो 55 लोगों को सजाएं मिली हैं, उन 55 लोगों को आप देखें तो पूरे के पूरे आर.एस.एस. की जमात से संबद्ध लोग हैं। तो जो बातें साफ हो चुकी हैं, अब अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी इन बातों पर गौर नहिया जाए, उन पर न सोचा जाए तो फिर कैसे हो सकता है। इसलिए जहां-जहां दंगे होते हैं वहां प्राथमिकता के स्तर पर हल करा जाए क्योंकि जो सामान्य प्रक्रिया के तरीके से हल होता है उसमें इतना लम्बा समय लगता है कि सारे सबूत खतम हो जाते हैं। जल्दी सुनवाई करवाने पर क्या होता है ? हम अपने जमाने की बिहार शरीफ की मिसल देते हैं कि अगर एक साल के भीतर हमने सुनवाई करा दी, मुकद्मे चला दिए तो सारे शक साबित हो गए और कसूरवारों को सजा मिल गई। इसलिए भारत सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आप दंगों को पूरी तरह से समाप्त कराने के लिए विशेष अदालतें बनवाएं और जरूरी हो तो संपद में कानून बनाएं। बिहार में हमने कानून बनवाया था, लेकिन सारे देश के लिए बड़े पैमाने पर आप कानून बनवाएं ताकि इनको सदा के लिए खतम किया जाए ।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं फिर जो हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सिस हैं, चाहे बी०एस०एफ० हो, चाहे सी०आर० पी० हो, उत्तर प्रदेश की पी०ए०सी० हो या बिहार की बी०एम०पी० हो, इनकी शिकायतें आती हैं कि इनके पास सैक्युलर विजन नहीं होता है। बस कह दिया लोगों को प्रशिक्षण में आपने सैक्युलरिज्म की बातें, सर्वधर्म की बातें आप सीखिए, पर किसी ने दी नहीं हैं। इसलिए गृह मंत्रालय को गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम कैसे तमाम लोगों को सैक्युलरिज्म की बातें समझाएं क्योंकि भारत के संविधान के 25, 26, 27 और 28, इन चारों अनुच्छेदों में परिभाषित कर दिया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता के क्या मायने हैं और हम किस तरह से जो हमारी विधि-व्यवस्था है, जो हमारी लोक-व्यवस्था है, उसपर कोई प्रतिकूल प्रभाव हम धार्मिक भावनाओं की वजह से नहीं होने दे सकते हैं। सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? यह समय आया है जब आपको पूरी पाबंदी लगानी पड़ेगी ऐसे दलों पर। क्या छूट होगी शिव सेना को, क्या छूट होगी आर०एस०एस० के लोगों को, क्या छूट होगी जमायते इस्लामी के लोगों को, ये जो हमारी सियासत को वर्ल्ड लेवल पर धर्म के नाम पर बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हुए हमारे मुल्क को परेशान करें। इसलिए आपको गंभीरता से इस पर चिन्तन करना होगा कि धर्म और सियायत कैसे अलग-अलग रह सकें। धर्म की पूरी इज्जत रहेगी, पूरा आदर देंगे, पूरा सम्मान देंगे, लेकिन ऐसी कोशिश हम नहीं करेंगे कि एक दूसरे के मामले में दखल हो। हम ऐसे लोगों में से हैं जो यह मानते हैं कि हर धर्म को अपने हिसाब से चलने की पूरी छूट है तथा उसपर कोई आघात नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे अभी राम जन्म भूमि का विवाद चला था। यह प्रारंभिक अवस्था में स्थानीय अवस्था में ही हल होना चाहिए था, पता नहीं क्यों लेट हुआ? क्या कारण था? यह मामला इतना नहीं बिगड़ता अगर प्रारम्भ में ही इसका फैसला हो जाता। जो मुद्दे स्थानीय लेवल पर हल हो सकते हैं उनको अनावश्यक रूप से हम राष्ट्रीय मुद्दे बना देते हैं तो हमारी परेशानी बढ़ जाती है और पूरे राष्ट्र के

[डॉ० जगन्नाथ मिश्र]

सिर्फ चिंता की बात बन जाती है। जो पहले वस्तुतः उत्तर प्रदेश के एक सीमित इलाके का मुद्दा हो सकता था, आज सम्पूर्ण राष्ट्र का मुद्दा बन चुका है। इसलिए इसका हल निकालना चाहिए। यह बात सही भी है कि इस मुल्क के अल्पसंख्यकों के मन में यह धारणा बन रही है कि अगर बाबरी मस्जिद का जो मामला है, दबाव से माना जाए तो अन्य जगहों में ऐसी मस्जिदें बनी हुई हैं, वह भी अनिश्चित होगा। एक जगह का फैसला कानूनी रूप से न्याय प्रणाली से मान लिया जाए तो बाकी सभी जगह की भी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस मुल्क के अल्पसंख्यकों के मन में अगर भरोसा और विश्वास नहीं होगा तो हमारी व्यवस्था बिगड़ सकती है। यह मुल्क सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है, सभी वर्गों का है, सभी भाषाओं का है और सबको बराबरी से जीने का हक है। इस मुल्क के हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमने सबको बराबरी का दर्जा दिया है। एक दूसरे पर दखल देने का हक नहीं दिया है। अगर कोई उसमें दखल देता है तो हुकूमत को उसमें दखल देना पड़ेगा। महोदय, दो तीन बातें मैं बिहार के मुतालिक कहना चाहता हूं। हमारा बिहार सबसे पिछड़े हुए राज्यों में से है। अफसोस की बात यह है कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तृतीय योजना में, चौथी योजना और पांचवीं तथा उसके बाद लगातार सभी योजनाओं में जो लक्ष्य रखा गया था क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करने का, रीजनल डिस्पैरिटीज को समाप्त करने का और देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी है कि क्षेत्रीय विषमता को कम किया जाए, लेकिन यह कम हो नहीं पा रही है। इसके प्रमुख दो कारण हैं। एक तो पूंजी निवेश जो राज्य सरकार से होता है वह पूरा नहीं होता है और जो खाई बनी हुई है राष्ट्रीय औसत बन गई है, उसको समाप्त करने के लिए कोई व्यवस्था हो नहीं पाती। दूसरी बात यह है कि निजी निवेश जो संभावित हो सकता है वह पिछड़े राज्यों में नहीं हो सकता है क्योंकि आर्थिक संरचना या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था बिहार में वह नहीं बन पाया। इसलिए न निजी पूंजी निवेश हो पाता है और न सरकारी पूंजी निवेश हो पाता है। एक के बाद एक योजना में हमारी खाई निरंतर बढ़ती जा रही है जिसके कारण क्षेत्रीय भावनाएं उभर रही हैं। अभी राष्ट्रीय जीवन में ऐसा क्षण आया? सरकारिया कमीशन के सामने भी यह तथ्य पेश किए गए, जो विभिन्न वित्त आयोग बनते हैं उनके समक्ष भी विभिन्न राज्यों ने अपने दस्तावेज पेश किए, अपने तर्कों को उजागर करने की कोशिश की लेकिन एक बात जरूर सोचनी होगी कि हमारी राष्ट्रीय नीति में कहीं न कहीं ऐसी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से क्षेत्रीय विषमता समाप्त नहीं हो रही है। यह सवाल आज बिहार का नहीं रह गया है। यह आज समस्त पूर्वांचल का है चाहे वह बिहार हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, इन सभी प्रदेशों में क्षेत्रीय विषमता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और लगता यह है कि जो बिहार और दूसरी घनी आबादी वाले सूबे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जिनके यहां सबसे कम पूंजी निवेश हुआ है, जिसको केन्द्रीय सहायता कम से कम प्राप्त हुई है, इसके कारण उसकी खाई राष्ट्रीय औसत से निरंतर गिरती जा रही है। इस बात को देखना पड़ेगा कि जो कृषि प्रधान राज्य हैं या जहां औद्योगिक संभावनाएं हैं उनको सहायता दी जानी चाहिए। बिहार के पास प्राकृतिक साधन हैं और प्राकृतिक साधनों के लाभ जो उसे मिलने चाहिए वे नहीं मिल पा रहे हैं। जितना कोयला, जितना मैंगनीज और, आयरन और अभ्रक, युरेनियम आदि पदार्थ बिहार में हैं, उनका लाभ जितना बिहार को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। खनिज पदार्थ के आधार पर जो उद्योग बनने चाहिए वे नहीं बन पाते हैं। जो दाम खनिज पदार्थ का बिहार में है, वही दाम बंबई में, गुजरात में, मद्रास में है। इसलिए को इंटरप्रेन्योर

वहां क्यों जाना चाहेगा। तो इस फेट इक्वैलाइजेशन के कारण बिहार का बड़ा नुकसान हो रहा है और यही कारण रहा है कि बिहार आगे नहीं बढ़ पाता है। बिहार खाद्यान्न के मामले में घाटे का स्टेट है। उसे दूसरे राज्यों से खाद्यान्न मंगाना पड़ता है। अगर खाद्यान्न के मामले में यही सिद्धान्त लागू हो तो बिहार के लिए लाभदायी होता इसलिए एक राष्ट्रीय जीवन में हम ऐसा मानते हैं कि फेट इक्वैलाइजेशन को समाप्त किया जाए, इसका समय आ गया है। उसको वापस लिया जाना चाहिए। जो परिणाम इसके बिहार को भुगतने पड़ते हैं, वे आगे भी भुगतने पड़ेंगे इसलिए न्याय और बराबरी के लिए यह जरूरी है कि इस सिद्धान्त को समाप्त किया जाए।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो मिनरल्स हैं उनके बारे में हमको शिकायत है। उनकी रायल्टी, उनका मुआवजा हमको मिलना चाहिए, वह आज नहीं मिल रहा है एक तो इनके रिवीजन का समय 4 साल रखा गया है हालांकि अन्य वस्तुओं की कीमतों में बहुत जल्दी बढ़ोत्तरी होती है। इसलिए इस समय को घटाकर 2 साल करना चाहिए। भारत सरकार रिवीजन करती भी है चार साल में तो दो साल उसमें लग जाते हैं और वह पिछले दो साल की कीमत नहीं देती है। इसलिए इस नीति में संशोधन होना चाहिए कि जो लाभ लेने वाला मंत्रालय है वही देने वाला भी नहीं हो। जो खरीदार हैं वह उसकी कीमत निर्धारित करने वाला है इसलिए यह बेतुका सिद्धांत लगता है। इसमें मंत्रालय के लिए भी हित नहीं होता है। वह जल्दी से पुनः निर्धारण कर दे और समय पर कर दे यह सिद्धांत होना चाहिए। इसके अलावा एक बात और बारबार कहता रहा हूं यह बात करनी चाहिए कि कोयले की रायल्टी एडवलोरम होनी चाहिए। मूल्य के आधार पर कोयले के मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए तब ही हमें उचित मूल्य मिलेगा। 71 में राष्ट्रीयकरण से पहले एडवलोरम था आज वह हटा दिया गया है इससे बिहार को बहुत नुकसान हो रहा है। साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आयातित मूल्य से गुजरात और असम को पेट्रोलियम उत्पादन करने का लाभ मिलता है। पेट्रोलियम का जो आयातित मूल्य है वह आधार होता है पेट्रोलियम की रायल्टी के निर्धारण के लिए। हमारी ओर से बार-बार यह बात कही जाती है कि कुकिंग कोल जो हम बिहार में पैदा करते हैं उसे आयातित कुकिंग कोल के मूल्य पर जो उचित कीमत हम को मिलनी चाहिए वह हम को देने की कोशिश की जानी चाहिए।

साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो केन्द्रीय सरकार से मदद देने का सिद्धांत बनाया गया है वह युनिफार्म सिद्धांत बनाया गया है। अब समय आ गया है राष्ट्रीय जीवन में जब आपको सोचना पड़ेगा कि भारत सरकार को ऐसी नीति अपनी सहायता के सम्बन्ध में बनानी चाहिए जो कि विकसित राज्य, अर्द्धविकसित राज्य और पिछड़े राज्य हैं तीनों राज्यों को तीन श्रेणी में बांट कर सिद्धांतों का निरूपण, निर्धारण इस हिसाब से किया जाए जिससे इन पूरे राज्यों को भी अधिक सहायता मिल सके। जिन राज्यों में पिछड़ापन ज्यादा है जहां पर प्रशिक्षित लोग हैं, जहां पर अप्रशिक्षित लोग नहीं हैं, जहां पर बाजार हैं और जहां पर बाजार नहीं हैं इन तामाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात को देखना चाहिए।

जो हमारी वित्तीय नीति होती है उनमें भी ध्यान देने की जरूरत है। जो फाइनेन्सिंग नार्म्स बनते हैं वे थोड़े से लिबरल होने चाहिए पिछड़े राज्यों के लिए उनकी अदायगी के बारे में उनकी वसूली के बारे में।

साथ-साथ रा-मेटेरियल, कच्चा माल के बटवारे के बारे में केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो पिछड़े राज्यों में उद्योग विकसित हो रहे हैं

[डा० जगन्नाथ मिश्र]

या बंद हो रहे हैं उनको भी प्राथमिकता पर कच्चा माल दिया जाना चाहिए जिससे उनका उत्पादन हो सके। जिनका औद्योगिक विकास देरी के प्रारम्भ हुआ है, दूसरे राज्यों में औद्योगिकीकरण बहुत पहले प्रारम्भ हुआ था लेकिन हमारे जैसे राज्य में औद्योगिकीकरण अभी प्रारम्भ हो रहा है, इन्टरप्रेन्योर्स नहीं बन पाये हैं वहां अगर कोशिश करें तो उनका भी लाभ होगा। अगर हम उनके लिए आकर्षण नहीं पैदा करेंगे तो वह कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए रा-मेटीरियल के बंटबारे में स्पेशल कंसेशन देना बहुत जरूरी है।

साथ-साथ जो भारत सरकार की ओर से लाइसेंसिंग देने की बात है उस नीति को थोड़ा सा सरल और सुगम करने की जरुरत है। ऐसे राज्यों के लिए भारत सरकार ने ग्रोथ सेन्टर्स बनाने का फैसला किया है 100 सेन्टर्स। बिहार में पांच हैं। ग्रोथ सेन्टर्स बनाना और उसमें केन्द्रीय सरकार की सहायता और राज्य की अपनी हिस्सेदारी, दोनों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसी को कोई नुकसान न हो। पिछले साल घोषणा की गयी थी लेकिन अफसोस है कि अभी तक ग्रोथ सेन्टर्स बन नहीं पाये। भारत सरकार की तरफ से तेजी से ये सैन्टर्स बनने चाहिए।

हमारे यहां पावर की समस्या बहुत बड़ी है। सेन्ट्रल इन्वेस्टमेंट पावर का बिहार में है ही नहीं। जो प्रोजेक्ट वहां पर हैं बड़ी लेट प्रारम्भ हुए यानी 60 के बाद। इसलिए बिहार में संतुलित पावर प्लांट होना निहायत जरूरी है। पावर के बगैर न इंडस्ट्री चल सकती है और न पावर के बगैर हम कृषि के बारे में आधुनिकीकरण कर सकते हैं।

श्री गुलाम रसूल मट्टू (जम्मू और कश्मीर) : मैं खुद रांची गया था परसों, शुक्रवार के दिन। वहां मैंने देखा। हम समझते थे कि कश्मीर में ही खाली पावर की क्राइसेज है। चार-चार दिन तक पावर नहीं होती। लेकिन जैसा डाक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा। वहां रांची में भी काफी हद तक पावर की कमी है। मैं इनका समर्थन करता हूं। इन्होंने बिल्कुल सही फर्माया है।

डा० जगन्नाथ मिश्र : बिहार सरकार की जो अपनी औद्योगिक नीति है उस नीति में भारत सरकार को बिहार सरकार को सहायता करनी चाहिए। भारत सरकार ने देश भर में पिछड़े जिलों के लिए अलग से सहायता की योजना बनाई है। अभी हम आर्थिक समीक्षा में देख रहे थे कि 674 करोड़ रुपये भारत सरकार ने पिछड़े जिलों के लिए आवंटित किया है। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम इन चार राज्यों को सबसे कम नगण्य सहायता इससे मिली है। इसलिए बिहार सरकार की औद्योगिक नीति अपनानी होगी तो उस नीति में भारत सरकार की पूरी मदद होगी तो तभी वह चल सकती है। इसलिए दूसरे राज्यों की तुलनात्मक दृष्टि से बिहार को देखा जाना चाहिए।

एक शब्द मैं सीमेंट उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। बिहार में दो सीमेंट उद्योग हैं, एक रोहतास का और दूसरा जपला में है। दोनों सीमेंट के कारखाने बंद हो गये हैं। देश में हम 10 प्रतिशत सीमेंट पैदा करते थे, लेकिन आज वह घटकर 3 प्रतिशत हो गया है। पावर के अभाव के कारण, पावर टैरिफ के कारण, फ्रेट पालिसी के कारण जो कठिनाइयां हैं उनको देखे जाने की जरुरत है। रोहतास और जपला के जो सीमेंट के कारखाने बंद हो गए हैं उनको फिर से चलाने की कोशिश होनी चाहिए।

स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत-सी बातें हैं। पिछले साल के भाषण में एक अलग से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज

बैंक खोलने की बात थी । लेकिन वह बैंक बना नहीं है । इसलिए वह बैंक बनाया जाना चाहिए ताकि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को मदद दी जा सके और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की संभावना बढ सकती है । बिहार में करीब 22 हजार स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के यूनिट्स बंद हो गए हैं । वे इसलिए बंद हो गए हैं कि उनकी वस्तुयें बाजार में बिकती नहीं हैं, उनको बाजार नहीं मिलता है । वे इसलिए बंद हो गए हैं उनको बिजली नहीं मिलती है बैंकों से पैसा नहीं मिलता है । जिस राज्य में 22 हजार यूनिट्स बंद हो जायें उसका औद्योगिक विकास कैसे हो सकता है । इसलिए स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को देखने की तत्काल जरूरत है । इसकी स्टडी, इसका अप्रैजल, भारत सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए । बिहार सरकार ने जो छूट दी है उसी तरह से ऋण की अदायगी में जो छूट दी गई है, वही छूट भारत सरकार की तरफ से भी दी जानी चाहिए । हमारे यहां 1964 में बोकारो में स्टील प्लान्ट बना था, लेकिन उसके बाद से एक भी सैन्ट्रल प्लांट बिहार में नहीं बना है । बिहार में रक्षा उद्योग के मामले में, कोयले पर आधारित खाद का कारखाना बनाने के मामले में और रेल के कारखाने बनाने के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इसके अलावा पैट्रो कैमिकल्स काम्प्लैक्स बनाने के बारे में सर्वेक्षण भी हो चुका है और भारत सरकार की तरफ से जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं तो यह आश्वासन दिया गया था कि बिहार को सातवीं योजना में यह जरूर मिल जाएगा । लेकिन सातवीं योजना में पैट्रो कैमिकल्स काम्प्लैक्स नहीं मिला । इसलिए बिहार के लोग परेशान हैं । जो चीज हमारे यहां हो सकती है और जिसका आश्वासन भी भारत सरकार ने दिया था वह भी हमें नहीं मिला । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बरौनी रिफानरी के पास पैट्रो कैमिकल्स काम्प्लैक्स बनना चाहिए । इसके साथ-साथ बड़े उद्योग और मिडियम और हाई टेक पैट्रो कैमिकल्स और पोलेमैक्स के कारखाने बनाने की संभावना बिहार में है जिससे इम्पोर्ट घटाने में मदद होगी, एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद होगी । हमें प्रसन्नता है कि श्री राजीव गांधी जी ने फूड प्रोसेसिंग का अलग मंत्रालय बनाया है । बिहार एक कृषि प्रधान सूबा है । भारत सरकार को इस फैसले के लिए हम धन्यवाद देते हैं । नार्थ बिहार में बहुत सारे कृषि पर आधारित उद्योग बन सकते हैं । पैप्सी प्रोजेक्ट पंजाब में बनाया जा रहा है । ठीक उसी तरह का उद्योग नार्थ बिहार में भी बनाया जा सकता है जैसे कि मिल्क प्रोडयूस के, फूट के, और वैजीटेबल के और आम पर आधारित उद्योग खडे किए जा सकते हैं । इसलिए भारत सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि नार्थ बिहार में किस प्रकार के कृषि पर आधारित उद्योग बनाए जा सकते हैं । भारत सरकार को इस बात को भी देखना चाहिए कि बिक्री कर में जो सुविधा या सहूलियतें बिहार सरकार ने दी हैं उसके कारण कोई कठिनाई नहीं पैदा हो । इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज बनाने के बारे में और रिफ्रिजिरेटर प्लान्ट बनाने के बारे में भारत सरकार की ओर से आवाहन भी हुआ है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए । भारत सरकार की इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से 22 सितम्बर, को एक सरकूलर भी शुरू किया गया है ।

सेंट्रल सब्सिडी जो मिलती थी, बैकरीज पर, फ्लोर मिलों पर वह बंद हो जाएगी । एक तरफ तो भारत सरकार ने कहा कि खुलना चाहिए, होना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ उद्योग मंत्रालय ने, उसे जो राहतें दी जा रही थीं, जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको बंद कर दिया है । कनफैक्शनरीज और कैटल फूड उस सब की वहां पर काफी संभावनायें हैं और अनेक प्रकार के खाद्यों से संबंधित उद्योग खोले जाने चाहिए जिनको आप एक्साइज से, उत्पादन शुल्क से छूट दे सकते हैं और अनुदान दे सकते हैं । हमें इस बात की खुशी है कि इस बजट में मार्डनाइजेशन के लिए मशीनों के इम्पोर्ट के बारे

[डा० जगन्नाथ मिश्र]

काफी छूट दी गई है, प्रोत्साहन दिया गया है। इसका लाभ हम अवश्य ले सकते हैं अपने प्रदेश में। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो इस साल का बजट पेश हुआ है वह पूरी तरह से सामाजिक न्याय को सुलभ करने के लिए है, आर्थिक स्थायित्व देने के लिए हैं, विकास की गति को और तेज करने के लिए हैं और उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए है। प्रधान मंत्री ने जो अपनी दूरदृष्टि से नई नीति का निर्धारण करके उसे जो एक नया स्वरूप दिया है उससे राष्ट्रीय आत्मबल को एक शक्ति मिलेगी और हमारा मुल्क तेजी से आगे बढ सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रभावकारी बजट को पेश करने के लिए वित्त मंत्री को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं।

श्री मीर्जा इर्शाद बेग (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लेना चाहता हूं। डा० जगन्नाथ मिश्र जी ने जो साम्प्रदायिकता के निर्मूलन की बात कही है। मैं उसका संपूर्ण समर्थन करता हूं। भारत में जितने भी धर्म हैं, मैं समझता हूं उन धर्मों की जो सीख है वह कभी भी संकोर्ण नहीं है। लेकिन मजहब का जहां जनून हो जाता है या जहां धर्म की अंधता आ जाती है, जो धनांधता आ जाती है वह धर्म का आधार लेकर, मजहब का आधार लेकर इन अमानवीय कार्यों की तरफ प्रेरित होता है। महोदय, इसके संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इंडियन पीनल कोड में ऐसी धारायें मौजूद हैं जिनके अनुसार देश में बसने वाले तमाम लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए उसमें यह है कि अगर कोई संघ, या कोई व्यक्ति, अथवा कोई संगठन ऐसी भाषा बोले या ऐसी करतूतें करें जिनके कारण वह किसी की दिली भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है तो उनके खिलाफ कदम उठाए जा सकते हैं। महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज देश में प्रजातांत्रिक नींव को खोखली करने के लिए आज जिस ढंग से साम्प्रदायिक जहर फैलाया जा रहा है उसको अगर समय पर न रोका गया तो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की नींव को वह खोखली कर देंगे। माननीय मैं... (व्यवधान)।

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी: चार बज गये है... (व्यवधान)।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Have some patience.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Where is that Report?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It is 3-58 p.m. Please wait. Please sit down, I will find out.

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is four o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGEH DESAI): Everybody will be quiet and let the House go on smoothly.

SHRI N. E. BALARAM: It is four o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No, not four o'clock. Please sit down. Please help me. (*Interruptions*)

श्री मीर्जा इर्शादबेग: माननीय, देश में धार्मिक जलूसों, धार्मिक यात्राओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा गलत प्रतिबंध लगाना हम चाहते भी नहीं हैं। लेकिन हमको कम से कम यह देखना चाहिये कि अगर ऐसी यात्राओं में धर्म का, मजहब का, कोई संगठन, कोई व्यक्ति या कोई भी जमात अगर नाम लेकर इस तरह की बातों को पनपाती है तो इसको देखा जाना चाहिये। जो इस तरह के जलूस निकलते हैं उनमें कभी कभी ऐसे स्लोगन पुकारे जाते हैं, कहीं कवायतें चलाई जाती हैं लेकिन इसके बारे में कोई जांच नहीं हो रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह मांग करूंगा कि ऐसी यात्राओं को, अभी भी कुछ ऐसी यात्रायें चला रहे हैं कुछ लोग, उसको देखा जाए। उसमें किस प्रकार की सीख दी जाती है, किस प्रकार के स्लोगंस बुलाए जाते हैं, जिनसे दूसरे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। मैं आशा करता हूं आपके माध्यम से कि सरकार इस पर गौर करेगी और

इण्डियन पेनल कोड के अन्दर जो भी धाराएं हों उन में रक्षणात्मक चीजें होती हैं इन पर सरकार गौर करेगी यह मैं आशा करता हूं । आपने मुझे जो समय दिया इसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता ।

4.00 P.M.

श्री सुबह मय्यम स्वामी : मैं भी इसका समर्थन करता हूं । बात सही है अब सरकार को कुछ जल्दी करना चाहिये ।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : चार बजे के बाद भी समर्थन कर दो ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मैं भी समर्थन करता हूं । यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष, महोदय वित्त मंत्री जी ने जो अन्दाज पत्र पेश किया है वैसे तो ठीक हैं लेकिन मुझे इससे पूरा संतोष इसलिए नहीं है कि हमारी कांग्रेस महासमिति ने जो आर्थिक प्रस्ताव पास किया था उसकी झलक हमें बजट में दिखाई नहीं देती है । वित्त मंत्री को बजट बनाते समय देखना चाहिये था कि कांग्रेस महासमिति ने कौन सा प्रस्ताव पास किया है और क्या क्या उस में कहा गया है । यह हमें दिखाई नहीं पड़ता है कुछ तो प्रावधान हैं कि उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान एक नयी योजना के लिए किया है जिसमें गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हर परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा । लेकिन नये रोजगार पैदा करने के लिए नये रास्ते भी हैं । आज जो कंस्ट्रक्शन एक्टीविटी हैं वह बहुत कम चलती है । एक तो जमीन की कमी की वजह हैं और दूसरे भी कई कारण हैं । जो अरबन लैंड सीलिंग एक्ट हैं इसमें सुधार करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने तीन साल पहले कहा था क्योंकि अरबन लैंड सीलिंग एक्ट का जो उद्देश्य है वह सफल नहीं हुआ हैं उससे भ्रष्टाचार बढ़ गया हैं । उसको दूर करने के लिए कई बार मांग की गई । अगर आप दो एक्ट निकाल दीजिये कि अरबन लैंड सीलिंग एक्ट और गोल्ड कंट्रोल एक्ट तो हजारों लोगों को नया रोजगार मिलेगा । आपको 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी नहीं करना पड़ेगा । कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है कंस्ट्रक्शन एक्टीविटीज से और जवाहरात बनाने में । जब हमने यह कानून बनाया तब तो इसकी जरूरत थी इसलिए बनाया था अगर इसकी जरूरत नहीं है तो इसको क्यों रखा जाए ? इसको निकाल देना चाहिये । मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में सरकार सीरियसली कुछ सोचेगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि के लिए चार हजार करोड़ रुपये ज्यादा देने का प्रावधान किया गया है । यह बहुत अच्छा किया है । लेकिन वित्त मंत्री जी का उद्देश्य जो हैं वह बैंक अधिकारी नहीं समझते हैं । मैं भी एक डिस्ट्रिक्ट एजेंसी का मैम्बर हूं । मैंने वहां देखा कि हमारे वहां के जो विकास अधिकारी होते हैं वह बैंकों को रिकमेंडेशन कर के भेजते हैं इन गरीब आदमियों की लिस्ट भेज देते हैं उसमें बैंक अधिकारी पचास-साठ नाम रिजैक्ट कर देते हैं । मैं इस तरफ वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे विकास अधिकारी जो होते हैं वह सरकारी अधिकारी होते हैं और पूरी जांच पडताल कर के रिकमेंडेशन करते हैं वैसे नहीं करते हैं कि चलो पैसा मुफ्त में दे दो । मैं उम्मीद करता हूं कि चार हजार करोड़ रुपए का जो प्रावधान आपने किया है इसका लाभ सही तरीके से पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि बैंक के जो अधिकारी है उनको ट्रेनिंग दी जाए उनको ग्रामोन्मुखी बनाया जाए । वह अभी भी शहरी बाबू है उनके दिमाग में अभी भी बिजनेस मैन है । गांव का किसान उनके दिमाग में नहीं है । जैसे आप आई० ए० एस० अधिकारियों को ट्रेनिंग देते हैं वैसी ट्रेनिंग बैंक अधिकारियों

[श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल]

को भी देने की आज आवश्यकता है क्योंकि जब गांव वालों को पैसा देने का सवाल आता है तो बैंक वाले बीमार हो जाते हैं जैसे कि उनकी अपनी पूंजी हो । इसके बारे में अगर आप प्रावधान करते हैं तो इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल हो । और आगे जो गरीब लोगों की अर्जी अधिकारी लोग भेजते हैं उनको रिजैक्ट न करें, मंजूर करें । इसका खास ध्यान रखें । दूसरा एक मैं कहना चाहता हूं वित्त मंत्री जी आप सुनिये । आपके इन्कम टैक्स अधिकारी जो हैं वे आजकल पुलिस वाले बन गए हैं । मैं गुजरात के बारे में कहूं । आपने 10 महीने में गुजरात में 1 हजार से ज्यादा रेड किए पर वे रेड करके आपको मिला क्या । कुछ नहीं मिला है रेड करके और क्या होता है कि आपके अधिकारी उनसे पैसा मांगते हैं । नहीं देते हैं तो कहते हैं इतना डिक्लेयर करो, नहीं करते हैं तो रात को दो दो, तीन तीन, और चार चार बजे तक उनको टार्चर करते हैं । अतः इन्कम टैक्स अधिकारियों को पुलिस का काम करने का अधिकार मत दीजिए । राजकोट में एक ज्वैलर तो जब टार्चर हुआ तो मर गया । अतः टार्चर बिल्कुल बंद होना चाहिए । पैसा तो आपको मिलता नहीं है । आप बताइये आपने 1100 रैड्स किए, कितना पैसा मिला । कुछ नहीं मिला । गलत करते हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि यह नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): May I intervene? During the last year and this year the hon. Member will be pleased to know, probably he is not aware of it, there was no police action and as such there was no torture. But we have taken steps according to the law. The average income in respect of customs and excise and income tax is 25 per cent more than the last year...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): If something is done, he is there to look into it.

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल: मंत्री जी आपने मुझे संशोधन दिखाया है । बडौदा में आपने 92 लाख के असेट्स सीज किए हैं, उनमें से केश कितना मिलेगा यह तो आगे देखा जाएगा लेकिन ज्यादातर आपके केसेज कोर्ट से निकल जायेंगे । जितना आपने किय है वह गलत काम किया है ...(व्यवधान)

SHRI N.K.P. SALVE: Mr. Vice-Chairman, I am on a point of order. The Minister was kind enough to intervene and say that because of the enhancement of this income they have taken action in accordance with the law. At this juncture it is very important to mention because the diamond cutters are rendering yeoman service. They are earning foreign exchange and today the greatest problem with India is foreign exchange. There are built-in safeguards in section 132 and you are aware of it, Vice-Chairman. If according to the law these safeguards are properly adhered to, there could never have been an excess committed on these people. I would like to know from the Minister what action he is going to take against those people who authorised these illegal raids under section 132.

SHRI AJIT PANJA: No illegal raids have come to my notice and the hon. Member has not informed me about this. If I get particulars I will certainly look into it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That is all...(*Interruptions*)...We also know that some of the officers were also beaten by the businessmen. Let us not discuss it. Mr. Salve has asked and the Minister will look into it.

SHRI N.K.P. SALVE: I am grateful for the enquiry but in the newspapers of today the regret of the officials has come, I am really surprised the Minister is not aware of it. The officials concerned have

expressed regret at having raided Angadias or something that they are called in respect of assessments of the diamond cutters.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He will look into it.

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : उपसभाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी कहते हैं कि उनको बहुत मिला है । आपने 1100 रेडस गुजरात में 10–11 महीनों में किए हैं, आप हाउस में रखिए कि एक एक केप में आपको कितना मिला है ... (**व्यवधान**) टोबेको कंपनी वालों से पैसा वसूल नहीं करते हैं ....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Patel don't get agitated. Please take care of your health.

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : मैं यह कहना चाहता हूं कि ईमानदार लोगों को परेशान किया जाता है । जो लोग कहते हैं कि हमारे पास कालाधन नहीं है, अनएकाउंटेड मनी नहीं है उनको वे लोग ज्यादा टार्चर करते हैं क्योंकि उनको 10 परसेंट नहीं मिलता है । यह 10 परसेंट वाला जो आपने निकाला है यह बहुत बुरा किया है । इससे इन्कम टैक्स में दो तरह के आफिसर्स हो गए हैं एक बिना दस टके वाले और दूसरे दस टके वाले । यह कहना सही माने में आपके लिए जरूरी नहीं था । आपके जो रेगुलर इन्कम टैक्स वाले थे क्या आपको उन पर भरोसा नहीं था जो ये दस टके वाले नए आदमी नयी इन्फोर्समेंट डाइरैक्टोरेट में खडे कर दिए । मैंने अहमदाबाद में कई केसेस देखे हैं । वे बोलते हैं कुछ डिक्लेयर करो । आप 50 लाख या 1 करोड रुपया डिक्लेयर करो, हमारा प्रोमोशन होगा । लेकिन उसके पास नहीं है तो कहां से डिक्लेयर करेगा, कहां से पैसा लाएगा । तो जो हो रहा है, अभी जिन पर रेडस किए गए हैं, उन सब को बुलाकर पूछ लीजिए । एक इन्क्वायरी बिठाइये जिससे आपको पता चले कि आपके अफसर लोग क्या करते हैं । आपको सारा पता चल जाएगा । मैं समझता हूं कि इसके बारे में आपको कुछ रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है । अगर ज्यादा पैसा चाहिए, तो टायलेट वालों ने जो हजार-पंद्रह सौ करोड का टैक्स -इवेजन किया है, उनको क्यों नहीं पकडते ? कई बड़े-बड़े इंडस्ट्रीयलिस्ट हैं जोकि टैक्स-इवेजन करते हैं, क्यों नहीं उनको पकड़ते हैं ?

यह जो टायलेट के सामान, टुथ-पेस्ट वगैहर बनाते हैं, वह लाइसेंस्ड केपेसिटी से तीन-पांच गुना बनाते हैं और ऊपर वाला जो माल बेचते हैं, उस पर ड्यूटी नहीं देते हैं । उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : एक्साईज भी नहीं देते है ।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : वह टैक्स देते भी नहीं हैं और उनको पकड़ते भी नहीं हैं और जो छोटे छोटे लोग है, उनके यहां रेड करते है, बस और उसको कहते हैं कि डिक्लेयर करो । हमने रेड किया है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि कुछ तो मिला है । यह गलत बात है । यह आप नहीं करिए ।

दूसरी चीज मैं कहूगा कि हमारी जो रायल्टी बाकी है.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You also find out whether there were raids or survey. (*Interruptions*). Please find out whether all these cases were raids or survey.

SHRI AJIT PANJA: Sir, I do not know because I meet the hon. Member almost every day. This is the first time that I am hearing this. (*Interruptions*).

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Mr. Minister, I have already written to you. (*Interruptions*)

SHRI SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Sir, I stand on a point of order. Excuse me, Sir, this is not the way. Is it the Question Hour or the Treasury benches are supporting the Budget and giv-

[Shri Syed Sibtey Razi]

ing their suggestions? I think this is not the procedure. This is not the Question Hour that everytime you are asking the Minister that he should reply. On every point, how the Minister could reply? So, the procedure should be adopted. This is not the Question Hour. He can suggest whatever he wants and later on the Minister will reply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): If the Minister wants, he can intervene, otherwise not.

SHRI SYED SIBTEY RAZI: It is good of the Minister that he is replying but everytime you are trying to put questions before the Minister. I think it is not proper.

(Interruptions)

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Sir, let the debate be lively. It is dull today.

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : दूसरे मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद जरूर करूंगा कि विरोधी दल वालों ने तो प्रचार शुरू कर दिया था कि पापुलिस्ट बजट आने वाला है, जनता को खुश करने वाला बजट आने वाला हैं । लेकिन ऐसी बाते नहीं हैं । उन्होंने 1200-1300 करोड़ का टैक्स लगा कर अच्छा काम किया है और इनमें से ज्यादा गरीब लोगों के फायदे के लिए किया है, लेकिन अभी ज्यादा कुछ करने की जरूरत है क्योंकि हमारी कम से कम इनकम और ज्यादा से ज्यादा इनकम के बीच डिसपैरिटी बहुत ज्यादा हैं । इसे कम करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, वह करना चाहिए और वह रेशो 1:10 का होना चाहिए । अगर कम से कम किसी की सौ आमदनी है, तो एक हजार से ज्यादा किसी की नहीं होनी चाहिए । यह रेशो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और धीरे-धीरे इनको कम करना चाहिए ।

आपने 8 प्रतिशत पचास हजार वालों के ऊपर जो लगाया है, वह अच्छा किया है । एक लाख जो कमायेगा, यदि वह आठ हजार देगा, तो बुरा क्या हैं, उनके लिए कोई ज्यादा रकम नहीं हैं। इसलिए ऐसे काम जो आपने किये हैं, वह ठीक हैं । लेकिन कहीं-कहीं पर आप थोड़ी-थोड़ी चीज में भी गये हैं । अब मान लो कलर टी०वी० हैं, उसमें आपने दो हजार लगा दिया । आपको पता नहीं कि स्टेट में कितना टैक्स होता है । मेरी स्टेट में 16 प्रतिशत सेल्स-टैक्स है, 4 प्रतिशत सेंटर का सेल्स-टैक्स हैं और 5 प्रतिशत एक्साईज ड्यूटी हैं, 25 प्रतिशत तो वहां पर टैक्स ही हो जाते हैं और आपने दो हजार अलग बढ़ाया है । सो वहां पर कितना बढ़ जाएगा तो आपके दिमाग में तो है कि एक टी.वी. पर दो हजार दे सकते हैं । दे जरूर सकते है, लेकिन कम लोग टी.वी. खरीदेंगे । कुछ लोग तो लोन वगैरह लेकर खरीदते हैं, इंस्टालमेंट पर खरीदते हैं । ऐसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा । ऐसी चीजों में आप हाथ मत मारिये, बड़े लोगों पर हाथ मारिये जहां से अच्छा मिले । यह छोटी-छोटी चीजें जो हैं, यह तो खाली लोगों को परेशान करने की बात हो जाती है । इसलिए आप इसमें नहीं पड़िये ।

श्री मीर्जा इर्शाद बेग : टी.वी. लक्जरी हैं।

श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल : यह लक्जरी नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आपको मौका मिलेगा तो आप बोलिये । अभी आप उनको बोलने दीजिए ।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : अभी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए जो क्राइटीरिया है. वह बहुत साल पहले एक अफसर कमेटी बनी थी, उसने तय किया था कि जहां तीस करोड़ का इनवेस्टमेंट है, उनको बैकवर्ड नहीं गिना जाएगा उनको फारवर्ड गिना जायेगा । आज दस किलोमीटर रेल की पटरी लगेगी तो दस करोड़ हो जायेगा । एफ मिल्क डेयरी लगायेंगे, तो 10–15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाती है ।

यह तो पुराना क्राइटीरिया है । इसको बदलना चाहिये और इंडस्ट्रियली जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस हैं, उनको देखना चाहिये कि वहां कितनी इंडस्ट्रीज हैं । यह रोड का इनवेस्टमेंट, रेल का इनवेस्टमेंट, एक डेयरी बने तो उसका इनवेस्टमेंट—वह सब आपको नहीं गिनना चाहिये । यह तो कही, कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां इंडस्ट्रीज नहीं हैं फिर भी आपके क्राइटीरिया में जाता नहीं है तो वह क्राइटीरिया जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड का है वह पुराना है, वह बदलना चाहिये । एक बार जब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने हम को लिखा है कि हम ब्लाक वाइज बैकवर्ड तय करेंगे तो वह भी अभी नहीं हुआ । अब जब चार साल पहले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कोई आश्वासन देते हैं फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो वह बराबर नहीं है । उसको फिर फाइल निकाल करके क्राइटीरिया बदलने के लिये यह देखना चाहिये और उसमें जो करना है वह करना चाहिये दूसरा जब पैसा लेना होता है तब तो बिल्कुल ले लेते हैं लेकिन जब देने की बात होती है तो बैठ जाते हैं । हमारे क्रूड आयल की रायल्टी का पैसा दो साल से उनको देना है। 1987 में खत्म हो गया लेकिन अभी तक पैसा दिया नहीं है और बात भी नहीं करते हैं तथा बढ़ाते भी नहीं हैं । बढ़ाना चाहिये लेकिन बढ़ाते नहीं हैं । मैं सुन रहा था मंत्री जी को वह ऐसी बात कहते हैं जैसे स्टेट को रायल्टी देते हैं तो कोई एहसान करते हैं । अरे, एहसान कैसे करते हो ? स्टेट ने आपको लीज दिया है तो आप पेट्रोल निकालेंगे, और गैस निकालेंगे । जमीन की मालिकी तो स्टेट की है और स्टेट को उनके ऊपर पूरा अधिकार होना चाहिये । आप जो भाव पेट्रोल बेचते है, कैरोसिन बेचते हैं, गैस बेचते हैं उस हिसाब से रायल्टी नही देते हैं । रायल्टी तो वैल हैड प्राइस पर देते हैं तो बहुत कम रायल्टी मिलती है ? यह क्राइटीरिया भी आपको बदलना चाहिये । 1948 का एक कानून है, जब हिन्दुस्तान में कुछ निकलता नहीं था, न पेट्रोल निकलता था, न गैस निकलती थी और न कुछ और निकलता था, तब एक कानून बना था और उसी कानून के आधार पर आप आज भी चल रहे हैं । 40 साल बाद भी हम नहीं सुधर सकते हैं, वहीं सड़क पर चलेंगे तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिये कि 40 साल पहले का कानून है, ठीक है वह आपके फायदे में हैं, वह मैन्टर के फायदे में है इसलिए आपने रखा है क्योंकि स्टेट को ज्यादा नहीं देना पड़े, लेकिन यह ज्यादा लंबा नहीं चलेगा क्योंकि इससे रिजनल फीलिंग लोगों में पैदा होती है । जो लोग प्रादेशिकवाद को नहीं मानते हैं वैसे लोगों को भी लगता है कि यह बात गलत है । इसलिये यह रिजनल फीलिंग लोगों में पैदा नहीं हो इसके लिए भी आपको यह रायल्टी के बारें में सोचना चाहिये । दूसरा ...

उप सभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : लास्ट प्वायंट, विठ्ठलभाई जी ।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : जब आप चाहेंगे तब मैं खत्म कर दूंगा, आपने न्यूज प्रिंट पर ड्यूटी लगाई है,। इससे कितना पैसा मिलने वाला है ? दो-तीन करोड़ मिलने वाला है । खाली दो-चार करोड़ के लिये आप उसके ऊपर क्यों ड्यूटी लगाते हैं ? ऐसा करके आप अखबार महंगे कर देते हैं । सरस्वती को तो कभी महंगा करना ही नहीं चाहिए । लोग जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है । किताबें, अखबारें मैगजीन जितने कम पैसे में मिलेंगे उतने ही ज्यादा लोग उन्हें पढ़ेंगे । अगर महंगे होंगे तो लोग नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम लोग पढ़ेंगे । इसलिये अखबारों को आप महंगा मत करिये और यह ड्यूटी आप निकाल दीजिये क्योंकि न्यूज प्रिंट पर से बहुत कम पैसे आपको मिलने वाले हैं । वह आप निकाल देंगे ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): What point of order can be there on this?

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: At 4 o'clock some statement had to be given by the Government. Nothing has been given. This is not a question of opposition. I am very much concerned, not the Opposition alone. (*Interruptions*). This is the point of order. According to the procedure adopted, at 4 o'clock, some sort of statement was to be made. Congress Members are also interested in knowing about Indira Gandhi's murder. (*Interruptions*). This is a very sensitive issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There is no point of order in this. (*Interruptions*)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया (बिहार): यह सब जो मर्जी आये खड़े हो कर बोल रहे हैं। जब जी चाहे खड़े हो गये... (व्यवधान) इसको आप एक्सपंज कीजिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please sit down. There is no point of order. Mr. Swamy Naik.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): आप उधर उठ कर बैठ जाइये, इधर पार्टी मे नहीं रहना है तो उधर बैठ जाइये।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: If you talk like this, we all will go and sit there.

SHRI G. SWAMY NAIK (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I am very thankful to you for giving me this opportunity to speak on the General Budget 1989-90...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: What happened to the statement to be made by the Chairman?

SHRI DIPEN GHOSH: Let us have the statement or adjourn the House till the statement comes.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: The Deputy Chairman told us that the Chairman called her and he wanted 15 to 20 minutes to decide on the matter.

SHRI T.R. BALU (Tamil Nadu): It is 4-20.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Mr. Gurupadaswamy and I were called by the Deputy Chairman and we were told that the Chairman had called her and the matter was going to be decided in 15 to 20 minutes. That is why we waited and we came in after 20 minutes. You kindly find out what happened. Till then kindly keep the proceedings of the House pending.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The Deputy Chairman has gone to the Chairman and I think she might have gone for this purpose.

SHRI M. A. BABY (Kerala): Then keep the proceedings pending.

SHRI DIPEN GHOSH: Adjourn the House till then.

SHRI LAL K. ADVANI (Madhya Pradesh): On a point of order...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): On what?

SHRI LAL K. ADVANI: Not relating to this but a point of order I would like to raise and it is that while we were away, I am told that this issue about the Indian Express was referred to at length and discussed by Mr. Madan Bhatia and in that very abusive references were made to Arun Shourie, a person who is not in the House. It is the established convention of this House that a person who cannot reply to any charges made, no references can be made to him and, therefore, my point of order is you kindly examine the record and see that those references are expunged.

SHRI AJIT PANJA: Mr. Dhawan is not present here. Why did you raise his name here?

SHRI DIPEN GHOSH: Mr. Vice-Chairman what is your ruling on his point of order...

SHRI MADAN BHATIA: Mr. Vice-Chairman,...

SHRI DIPEN GHOSH: Mr. Vice-Chairman, have you given your ruling on Mr. Advani's point of order? Otherwise, how can Mr. Madan Bhatia rise to speak?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He referred to the remarks made by Mr. Madan Bhatia. Now he wants to rise on what he had said.

SHRI DIPEN GHOSH: You have to check up the proceedings. If you are satisfied that he made certain references to a person who was not present in the House, then it is up to you to order their expunction. He has no right to be heard again.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: This does not apply in Arun Shourie's case. He can reply in the Indian Express tomorrow. Why should he make a special reference for him here?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): If some remarks are made against a person who cannot defend himself in the House, if the remarks are such, then I will look into it.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): I want to make a submission. The position is not clear...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I have already said I will see the remarks. If they are made against a person who cannot defend himself in this House, I have made it clear, And, if I feel that the remarks are such,...(*Interruptons*)...that he or she cannot defend himself or herself...(*Interruptions*) ...I will look into it...(*Interruptions*).

SHRI SUMRAMANIAN SWAMY: He can defend himself and we need not defend him...(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Swamy, I am on my legs...(*Interruptions*)...Mr. Swamy, I am on my legs, and I will not allow any Member to speak like this...(*Interruptions*...Please sit down...(*Interruptions*) ...Please sit down...(*Interruptions*)... I will look into it. I have said that I will look into it...(*Interruptions*)...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, before you give your ruling, just one minute. Please give me one minute. I want to make a submission...(*Interruptions*)... Kindly bear with me...(*Interruptions*)...

SHRI LAL K. ADVANI: What is he going to say?...(*Interruptions*)...

SHRI VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I will look into it...(*Interruptions*)...I will look into it. I have said I will look into it...(*Interruptions*)...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, before you give your ruling, I want to make a submission...(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GAGESH DESAI): Please sit down. After all I know what to do...(*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, I crave your indulgence. Just one minute, Sir...(*Interruptions*)...

SHRI DIPEN GHOSH: Sir you have given a ruling, is he correcting your ruling?...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGEH DESAI): I have told that if the remarks are such...(*Interruptions*)...I have told that if the remarks are such that there is no opportunity to the person concerned to give a personal explanation and if it is derogatory to him, I will look into it...(*Interruptions*)...

SHRI MADAN BHATIA: May I make a submission, Sir?...(*Interruptions*)... With the permission of the Chair only I was allowed to make my submission...(*Interruptions*)...I was respectfully submitting that the whole reprehensible conduct and the drama of the Opposition is the result of the new write-ups...(*Interruptions*)...*and that is why they are indulging in this*...(*Interruptions*)...

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: How can he speak now?...(*Interruptions*) ...How can he speak? How are you allowing him?...(*Interruptions*)...Sir, I am on a point of order...(*Interruption*) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I have not heard anything...(*Interruptions*)... I have not heard anything. I have not heard anything and if anything is said without my permission, it will not go on record...(*Interruptions*)...Nobody can speak without my permission...(*Interruptions*)... I have not heard anything...(*Interruptions*)...I have not heard anything.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Sir, I am on a Point of order...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I am on my legs. All of you, please sit down...(*Interruptions*)...

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Mr. Vice-Chairman, Sir,...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I am on my legs...(*Interruptions*)...I am on my legs. You see, I have not heard anything of what Mr. Bhatia said. I have not heard and if it is on record and if that is unparliamentary, then I will look into it. Now, Mr. Swamy Naik.

SHRI G. SWAMY NAIK: Sir, ...(*Interruptions*)...

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Sir, I have to say this much...(*Interruptions*)...When the Deputy Chairman...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I have told you. Now Mr. Swamy Naik ...(*Interruptions*)... No, no. Now, Mr. Swamy Naik.

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, you yourself heard what he said...(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I have told you that she has gone there.

SHRI DIPEN GHOSH: Let me make a submission...(*Interruptions*)...When the Deputy Chairman was in the Chair, she had declared ...(*Interruptions*)... that the Chairman will announce the decision...(*Interruptions*)...at 4 o'clock. When we entered here at 4 o'clock, Mr. Gurupadaswamy was called by the Deputy Chairman and he was told that something was coming up and so, he should wait for a few minutes and we waited exactly that much...(*Interruptions*)...

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, the discussion is going on on the Budget. Have you allowed him to speak on something else?...(*Interruptions*)...

SHRI AJIT PANJA: Sir, may I make a submission? I will take just one minute. Just give me one minute. Sir, the Budget discussion is going on. A serious thing is being discussed. On what is discussed outside can some Members come here and jump? I have not heard this ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I have allowed it ...(*Interruptions*)... I have allowed it.

SHRI DIPEN GHOSH: Exactly after 20 minutes we have entered. So we want to know...(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please sit down. I have allowed him. In my discretion I have allowed him Yes.

SHRI DIPEN GHOSH: Exactly after 20 minutes we have entered. You have noted. Till now there is no announcement. If there is further delay in the making of the announcement, then please keep the House adjourned.

SOME HON. MEMBERS: Why? (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: And let us wait for the announcement the Government wants to make.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The House will not be adjourned. (*Interruptions*)...

SHRI AJIT PANJA: This is not your ... (*Interruptions*)

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI P. SHIV SHANKER): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Deputy Chairman has gone to discuss the matter with the Chairman. And some of the hon. leaders of the Opposition are aware. She informed them; she informed all of them--at least some of them, I am aware. They were there with her. She said that she will take at the latest 40-45 minutes. (*Interruptions*) At the latest.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It may take time.

SHRI P. SHIV SHANKER: She may take half an hour, she said.

SHRI N.K.P. SALVE: In my presence she said 30 to 40 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): If she has gone for consultation with the Chairman, it may take more time. You should have some patience.

AN HON. MEMBER: Let her come back and then we will proceed. (*Interruptions*)

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I had a talk with her. (*Interruptions*) I want to tell something.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It will take time, Mr. Gurupadaswamy.

SHRI M.S. GURUPADASWAMY: Why don't you listen to me?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): When you are talking to somebody it may take time; you also know. (*Interruptions*) She has gone for some purpose.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Let me tell you what transpired between the Deputy Chairman and me. Sir, she sent for me, and I went there. And Mr. Upendra was also there. She said that she would require some time because she was called by the Chairman. Then, 'for what'? I asked her. 'It is for the same purpose, we are evolving a solution, we will come out with a solution, and for that purpose only I have been called; I require about 20—25 minutes'. 'It is all right', I said (*Interruptions*) Just a minute. So I requested my friends, my colleagues, to wait and not to raise any issue till then. Already 35 minutes are over.

SHRI AJIT PANJA: So what?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: How long should we wait? No.1, No. 2, have no objection; if you think that we have to wait till she come back or the Chairman comes back we have no objection at all. But till then I would request you to adjourn the proceedings of the House. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): When we were talking, at that time also the proceedings of the House were going on. So the proceedings of the House will not be stopped now also, Yes, Mr. Swamy Naik. (*Interruptions*)

(*At this stage some hon. Members left the Chamber*)

SHRI G. SWAMY NAIK: Sir, I offer my personal appreciation to the hon. Minister of Finance for presenting a Budget which marks a qualitatively new stage for social awareness, new employment programmes, new housing schemes (Bima Niwas), saving-oriented rural schemes, decontrol of aluminium and cement, enhancement in pension amount of freedom fighters, clothing to destitute women, corp loan restructuring. Nehru Rozgar Yojana pension payments through new organisation, adult education, forest conservation, poultry farm exemption, new

[Shri G. Swamy Naik]

rehabilitation schemes to sick units, expansion of steel plants at Vishakhapatnam and few other concessional schemes introduced for upliftment of down-trodden sections of the society.

As we are celebrating this year Pandit Jawaharlal Nehru's birth centenary in the Modern India which was devised by the great sons of India like him, we must move forward to achieve the visions of Panditji which are still unfulfilled and to be achieved through resources available in our mixed economy. My suggestions to fulfil the aims and objectives of party programmes as well as plans of Government for the larger segment of society would be hinted as below.

The budget as a whole is commendable and meant for larger segment of people of the country. Ever since he became the Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi is showing keen interest in the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The creation of the Ministry of welfare is a clear indication for the same. I must congratulate Shrimati Rajendra Kumari Bajpai for her missionary zeal in tackling the problems of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

One family one member employment should be immediately implemented with the help, assistance and guidelines framed by Government at Panchayat levels. This would fulfil our promises made to rural youth who constitute and influence future society. The slackness be checked in the implementation of the schemes for Rural Employment like Rural Landless Employment Guarantee Programme, Integrated Rural Development Programme, Integrated Tribal Development Agency, National Rural Employment Programme. This slackness can be traced to the indifference of the State Governments towards these unfortunate brethern who come under the categories of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

I am glad that the Government have formulated a new scheme called 'Jawaharlal Nehru Rojgar Yojana" and provided Rs. 500 crores in the budget for its implementation. I feel that it is better for its implementation. I feel that it is better that the schemes for the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and also the programmes for providing rural employment are brought under the Ministry of Welfare and are entrusted to the Panchayat Raj institutions for for better implementation.

By way of decontrol of cement and aluminium, hon. Minister has seen the vision of our first Prime Minister and has also visualised the thought of our dynamic leader Shri Rajiv Gandhi. This act will enhance the chances of owning houses by weaker sections of society and help them to earn two square meals a day easily. As a measure of social responsibility, distribution of a pair of sarees to destitute women and clothing to children would generate an impulse in them to think that they are also part of the society.

The meagre provision of Rs. 261 crores in the budget for Woman and Child Development may not be sufficient. I, therefore, appeal to the Government to consider enhancement of this provision considerably so as to make it meaningful.

Agriculture being the main occupation of the people, introduction of Kisan Vikas Patra Bima Niwas Scheme, crop loan, adult education extension programmes and forest conservation law clearly signify the aim of the Government and our party to build India on collective principles while generating a sense of responsibility among the citizens at all levels.

Here I would say that adult education extension programmes should be effectively planned and monitored for the tribal people who are in far flung areas. The forest conservation law should be implemented strictly and tribals living forest areas should not be pressurised to give up their way of living suddenly. If any development schemes of forest are devised, tribals are to be accommodated first and foremost. Sir, I am of the opi-

nion that special concession for poultry farming be extended to tribals in tribal areas of the country.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I am glad to note that decontrol of cement and aluminium has been announced in the Budget. I suggest that the Government must monitor strictly the aims and objectives of decontrol. On productivity sector of these important materials, no relaxation be allowed in future to public or private sector units, and the Government should be vigilant to watch.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I express again my happiness that the expansion programme at the Visakhapatnam Steel Plant was reviewed. Whatever gap remains out of anticipated target or target achieved, be fulfilled immediately. To reduce the burden on road transport, water transport facilities could be developed from minor coastal points of Andhra Pradesh which would help the people, the Government and the Party by generating employment opportunities.

Sir, I appreciate the exemptions allowed to namkins such as Bhujia, Chabena and ready-to-cook mix, namely a idly mix, vada mix, dosa mix, jalebi mix and gulab jamun mix. I wonder why the Vermicelli or Sevian name is missing in the paragraph announced by the hon. Minister: Sevian is a common, ready-to-cook and eat food. It deserves proper exemption because Sevian or Vermicelli is nothing but the ingredient of wheat. Imposition of excise duty on Vermicelli has no meaning because there is no excise duty on wheat, flour, maida and rice.

Mr. Vice-Chairman, Sir, recently the Andhra Pradesh Tribal Advisory Council advised for repeal of the Tribal Land Regulation No. I, and the Government of Andhra Pradesh has accepted it. It is very shameful on the part of the State Government.

I am happy, Sir, to comment on the performance of the Railway Ministry on both the scores of transportation and public facilities. I suggest similar enthusiasm is continued to overcome other unattended difficulties. So far as the industrial development and its policies are concerned, I am glad to note that Government has allowed concessions in modernisation of tool machinery, textile machinery and paper industry.

Sir, now I am coming to offer my last suggestion and draw the attention of the Government to this suggestion which I have been offering for the last few years on social security of tribals throughout the country. My main intention and contention is on the basis of a survey conducted by me and a court verdict passed by the Learned Judge of Punjab and Haryana High Court that the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes be revised, modified afresh with reference to Vimukta jatis. To quote, Sir, there is a community called Banjara community. They are tribals of India. In Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Kerala they also placed in the Backward Class list whereas in Andhra Pradesh, Orissa and West Bengal they are in the Scheduled Tribes list. But in Delhi, Karnataka and Himachal Pradesh, the Banjara community is treated as a Scheduled Caste. I would strongly recommend to the Government that the community should be treated as a Scheduled Tribe throughout the country, and I shall be grateful if this is accepted at the earliest. Sir, to overcome the genuine problems, our Prime Minister Shri Rajiv Gandhi has constituted a Cabinet sub-committee under the Chairmanship of Shri Buta Singh, hon. Home Minister, to review and recommend to the Government in this regard. I understand that the Sub-Committee, after going into details, has submitted their final recommendations to the Government.

I request the Government, especially our dynamic Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, to introduce a comprehensive Bill for amending the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the current session of Parliament so that no discrimination is surfaced among the community and its people who constitute a population of about two crores.

I thank the hon. Vice-Chairman for giving me this opportunity to participate in the debate. Thank you.

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, यद्यपि 1989-90 के लिए 7337 अरब रुपयों के घाटे का यह बजट पेश किया गया है किन्तु इस बजट में देश से गरीबी दूर करने के लिये अनेक नये कार्यक्रमों की घोषणा की है जिससे बेरोजगारों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। आज देश में 3 करोड़ पंजीकृत बेरोजगार हैं और इतने ही गैर पंजीकृत है। अतः सरकार का बेरोजगारी दूर करने का संकल्प प्रशंसनीय है।

विपक्ष के कुछ माननीय नेताओं द्वारा यह भ्रम पैदा करना कि अगले चुनाव को ध्यान में रख कर यह आकर्षक दिखाई देने वाला बजट बनाया गया और यह कह कर इस बजट में वे बहुत सी बुराइयां तलाश कर रहे हैं। मैं उन्हें विनम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहती हूं कि गत वर्षों के कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट पर भी नजर डालकर देखें कि वह कितने सतुलित गरीबों व आम नागरिकों के लिये राहतकारी एवं विकास की दिशा में प्रतिबद्धता से परिपूर्ण रहे हैं। उसी श्रृंखला में इस बजट की कुछ प्रशंसनीय उपलब्धियां हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये नई जवाहरलाल नेहरु रोजगार योजना लागू की जाने की घोषणा की गई है जिसके लिये साधनों का स्रोत 50 हजार से अधिक आमदनी वाले कर दाताओं पर 8 प्रतिशत की दर से अधिक आंशिक कर वृद्धि की है। निश्चित रूप से ऐसी राहतकारी रोजगार योजनायें देश के बेरोजगार ग्रामीण नौजवानों के लिये बेहतर जीवन जीने के लिये अवसर उपलब्ध करायेंगी। उसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर 750 रु० मासिक की घोषणा कर कांग्रेस सरकार ने इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त की है जिनकी निस्वार्थ कुर्बानियों के कारण आज हम सभी आजाद भारत में अपने संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप गर्व से रह रहे हैं।

प्रस्तुत बजट में विधवाओं और विकलांगों तथा पारिवारिक पेंशन धारकों को भी समुचित ध्यान दिया गया है। सिगरेट पान मसालों पर कर वृद्धि कर बहुत अच्छा किया क्योंकि नशीली वस्तुओं पर जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तथा केवल शौक की वस्तुएं हैं उन पर कर बढ़ाया ही जाना चाहिए। बजट में आम आदमी के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान को सभी तक मुहैया करने का सरकार का संकल्प दर्शाता है। गरीबी हटाओ कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा नौ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रशंसनीय है। गरीबों को जीवन स्तर सुधारने के जब अवसर प्राप्त होंगे वहां विलासिता की वस्तुओं से संबद्ध लोगों पर कर लगा कर सरकार ने देश के विकास कार्यक्रमों के लिए योगदान का आवाहन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गरीब परवर प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत तमाम चुनौतियों के बावजूद भी विकास में निरंतर उपलब्धियां हासिल करेगा, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जहां सरकारी कर्मचारियों पर पूर्ववत 18 हजार से 25 हजार तक आय सीमा में केवल 25 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत आंशिक राहत दी गई है उसके स्थान पर वेतन भोगी कर्मचारियों की 30 हजार तक की आय को आयकर से मुक्त रखने का विनम्र आग्रह करती हूं क्योंकि वेतन भोगी कर्मचारी आज भी स्थिति में महगाई से ग्रसित तो है ही, अपनी आमदनी के हिसाब को छिपा भी नहीं सकता। जहां तक एक तरफ व्यवसायी वर्ग विलासितापूर्ण जीवन जीता है और अपनी आय का लेखा जोखा भी ईमानदारी से घोषित नहीं करता। लाखों कमाने वाला केवल हजारों में आमदनी दिखा कर चोरी करता है। दूसरी ओर वेतन भोगी के परिवार को भारी आर्थिक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। कलर टी० वी० तथा अन्य ऐसे इलैक्ट्रोनिक उपकरणों पर भारी कर लगा दिया गया है। इस प्रकार कलर

टी० वी० और इलेक्ट्रोनिक का सामान आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। कर्मचारी और मध्यमवर्गीय लोग जो इन्हें किश्तों पर खरीदते थे अब उनकी खरीदने की हिम्मत नहीं है। अतः मैं निवेदन करूंगी कि इसमें कुछ छूट दी जाये।

मैं अंत में माननीय वित्त मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि वित्तीय व्यवस्थाओं में इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। जैसे कुछ स्थान और क्षेत्र ऐसे हैं जहां उद्योगों की भरमार है लेकिन वे फिर भी उद्योग विहीन क्षेत्रों में गिने जाते हैं और वहां पर भारी अनुदान की प्राप्ति के कारण पूंजी निवेश को बढ़ावा निरंतर मिलता रहता है। दूसरी तरफ पिछड़े गरीब उद्योग रहित क्षेत्र हैं जो ऐसे अनुदान की सीमा में नहीं आते तथा उद्योगों से वंचित हैं। वहां नये उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। जैसे उदाहरणस्वरूप मैं अपने क्षेत्र उत्तर प्रदेश के एटा व मैनपुरी, जो जगजाहिर पिछड़े व उद्योग विहीन और समस्याग्रस्त जिले हैं किन्तु उनको पूर्ण उद्योग विहीन जिलों की गणना में नहीं रखा गया है। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि नये सिरे से विकसित, अल्प विकसित तथा उद्योग विहीन पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण किया जाय ताकि सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके।

इस आग्रह के साथ मैं इस संतुलित और विकास की दिशा में अग्रसर बजट को प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं।

श्री राम चन्द्र विकल: (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्ताव यहां रखा गया है मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। इस बजट में कई विभिन्न रियायतें दी गई हैं मैं उनका भी समर्थन करता हूं। साथ ही मैंने विरोधपक्ष के बहुत से व्यक्तियों को सुना। उनका भी यह कहना है कि यह चुनावी बजट है। इससे अंदाजा यह लगता है कि कुछ रियायतें उनके दिमाग में भी हैं जिसके कारण उन्होंने भी इस तरह की बातें कहना शुरू किया है मैं समझता हूं कि बजट पर जो मांगे प्रस्तुत हुई हैं, चाहे वे अल्पसंख्यकों के लिए हों और चाहे शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हों और चाहे जनजातियों के लिए हों, इस तरह की रियायतों का मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

महोदय मैं कुछ मोटे-मोटे सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले जो सुझाव मैं देना चाहता हूं वह हैं कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किसानों, देश की भावी योजना के लिए एक बहुत बड़ा संकट होता चला जा रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, एक तरह हम इंदिरा गांधी कैनाल द्वारा राजस्थान के सूखे इलाकों को पानी से सिंचित करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ विकास प्राधिकरणों के लिए, आबादी के लिए, उद्योगों के लिए अधिक से अधिक उपजाऊ सिंचित भूमि, जिन पर ट्यूब वेल लगे हुए हैं, नहरें आई हुई हैं उनको ले रहे हैं। आप अगर उपजाऊ भूमि को आबादी और उद्योगों में अनावश्यक तौर से लगात चले जायेंगे तो हमारे देश की जो भावी योजनायें हैं उनको बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। मैं इस बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए यह मांग करना चाहता हूं कि उपजाऊ जमीन किसी भी कीमत पर हरगिज हरगिज न ली जाय। हमारी जो योजनायें हैं वे ऐसी होनी चाहिए, कि उद्योगों के अंदर केवल वह जमीन जाय जोकि उपजाऊ नहीं है। जो पठारी और कम उपजाऊ खाली जमीन पर उन पर उद्योग धंधे लगाये जा सकते हैं।

महोदय, मैं किसानों की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं। देवी

[श्री रामचन्द्र विकल]

आपदायें जो किसानों पर आती हैं तो उनको आश्वासन तो यह दिया जाता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे । मैं कल ही एक जगह गया था, चिरौरी में जो कि गाजियाबाद जिले में है । वहां पर गत वर्ष ओला वृष्टि हुई थी, और काफी हिस्सा रेता था जहां पर एक भी दाना पैदा नहीं हुआ । सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक भी यह नुकसान हुआ है । लेकिन आज एक साल के बाद भी अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद कोई भी मदद वहां नहीं दी गई । कल ही मेरे पास यह रिपोर्ट आई है । इन बातों से किसानों में बेचैनी होती है । आर्थिक मदद का आश्वासन अगर दैवी आपदाओं पर दिया जाता है तो यह आर्थिक मदद घोषित नीतियों के मुताबिक हमें दे देनी चाहिए । जो किसानों को फसल बीमा योजना है वह ऐसी दैवी आपदाओं के समय से जिनका किसान सब से ज्यादा भुक्तभोगी है चाहे उसकी फसल मारी जाए मवेशियों में बीमारी आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, सूखा पड़ जाए, फसलों को बीमारी लग जाए इन दैवी आपदाओं से किसान हमेशा चिन्तित रहता है परेशान रहता है । इसके बावजूद भी हमारी फसल बीमा योजना की घोषणा तो जरूर हुई है लेकिन देखने में यह आया है कि वह लागू नहीं है । उसको कैसे लागू किया जाए चाहे जिला स्तर पर या प्रान्तीय स्तर पर किस प्रकार से लागू किया जाए ? हम कहते हैं कि तहसील स्तर पर घोषित कर के इसको आप देखें और जो किसान इन दैवी आपदाओं का शिकार होते हैं उनको घोषित नीतियों के मुताबिक मदद करनी चाहिए । जहां तक पिछड़ी जातियों का प्रश्न है इनके बारे में हमारे संविधान में स्पष्ट नीति घोषित की गई है लेकिन यह सवाल भी एक राष्ट्रीय सवाल बना हुआ है । शिक्षा में यह बहुत पीछे थे और अंग्रेजी राज्य में शिक्षा का परसेंट जातियों के आधार पर निकाला हुआ था उसी आधार पर जो जातियां पिछड़ी हुई थीं उनका अनुपात भी निकाला हुआ है । जो जातियां शिक्षा में पिछड़ गई वे आर्थिक, सामाजिक सब तरह से वंचित रह गई । उस परसेंटेज के मुताबिक हमारा बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बना, काका कालेलकर कमीशन बना था जिसको हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया और नेहरू जी ने बनाया । मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि दक्षिण भारत में जो पिछड़ी जातियों को रियायतें दी गई रिजर्वेशन की या और चीजें उनको दी गई थी कांग्रेस सरकारों के समय में ही दी गई चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो या केरल हो । जितनी रिजर्वेशन पिछड़ी जातियों को दी गई हैं वह कांग्रेस पार्टी के जमाने में दी गई हैं या कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में दी गई है । उत्तर भारत में कुछ पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन के सवाल भी उठे हुये हैं । मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश में 98 फीसदी वजीफा है जो 1980 में बन्द कर दिया गया । मेरी यह मांग है कि इसको चालू कर देना चाहिये । यह बहुत जरूरी है । कुछ पिछड़ी जातियां ऐसी हैं जिनमें सभी सम्प्रदायों के लोग आते हैं सभी धर्मों के लोग भी आते हैं । उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूं कि 58 के करीब ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं । मैं बिहार की पिछड़ी जातियों को जानता हूं दक्षिण भारत की जातियों को जानता हूं उत्तर भारत की जातियों को जानता हूं । बैकवर्ड क्लासेज के बारे में पहले काका कालेलकर कमीशन बना था । फिर इसके बाद मंडल आयोग आया । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1958 में ए०आई०सी०सी० का सब्जेक्ट में जो अधिवेशन हुआ था उसमें मेरा एक नान आफिशियल रिजोल्यूशन था । पंडित जवाहर लाल नेहरू उस समय प्रधान मंत्री थे और इंदिरा जी प्रेसीडेंट थीं । जब यह प्रस्ताव पेश हुआ तो मैंने इस पर विस्तृत बातें कहीं । काका कालेलकर भी उस वक्त मंच पर थे । यह प्रस्ताव बड़ा गंभीर था और मुझे कांग्रेस पार्टी के अनेक लोगों ने वापिस लेने को कहा लेकिन मैंने उस प्रस्ताव को वापिस नहीं लिया । पंडित जवाहरलाल

नेहरू नीचे बैठे थे और इन्दिरा जी ऊपर बैठी थीं। पंडित जी ने नीचे से उठ कर स्वयं यह कहा कि इस प्रस्ताव में जहां तक मुमकिन हो शब्द लगाएं। मेरा एक छोटा सा प्रस्ताव यह था कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पर केन्द्र और राज्य सरकारें अमल करें। यह एक छोटा सा प्रस्ताव था जो नेहरू जी के संशोधन के साथ सर्वसम्मति से पास हुआ। कांग्रेस के इतिहास में नाउ आफिशियल रिजोल्यूशन रिकार्ड पर है कि हमारा प्रस्ताव कांग्रेस को मंजूर है ए. आई. सी. सी. में है, हमारी चुनाव घोषणाओं में मौजूद है। मैं कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लासेज की इन मांगों को जो बीच में रोक दी गई है या न्यायोचित हैं उनको अब तुरन्त मान लेना चाहिये। इन मांगों को बिना किसी संकोच के हमारी गवर्नमेंट को चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो मान लेना चाहिये सर्विसेज के रिजर्वेशन के समेत मान लेना चाहिये। केन्द्रीय सर्विसेज में भी रिजर्वेशन की मांग न्यायोचित मांग हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों को इस तरह की पिछड़ी जातियों की इन मांगों को मान लेना चाहिए। इनमें सभी मजहबों, धर्मों और जातियों के लोग आते हैं। आर्थिक और सामाजिक तौर से उनको न्याय नहीं मिला है, वह मिल जाना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो हमारे प्रधान मंत्री जी की आये दिन की घोषणाएं है वे सराहनीय हैं, उन पर लोगों को बहुत बड़ा विश्वास भी है।

5.00 P.M.

मैं शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा यह जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जो सामान्यजन को प्राप्त हो सके। अभी भी शिक्षा की वजह से बहुत विषमताएं हैं। अभी हमारे डा० जगन्नाथ मिश्र जी बोल रहे थे उन्होंने बड़ा विस्तृत भाषण दिया, बहुत लम्बे समय तक वे बोलते रहे, शिक्षा नीति पर भी मैं उनकी बात से क्या, सभी बातों से सहमत हूं। शिक्षा जब तक ऐसी न हो जो समाज के सब लोगों को समान मिल सके तब तक हर जगह सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलना संभव नहीं है। तो शिक्षा और विशेष कर प्राइमरी शिक्षा बुनियादी नीति है। प्राइमरी शिक्षा भी सरकार सारे देश भर की अपने हाथ में ले। इसमें कोई यह भेद नहीं होना चाहिए और कोई भी दूसरी शिक्षा पद्धति यहां नहीं होनी चाहिए। ये जो पब्लिक स्कूल हैं इनमें और सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ा फर्क है, इस फर्क को मिटाना चाहिए। केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा पद्धति, उनका कोर्स एक तरह से राष्ट्रीय एकता का द्योतक है। मैं इसका बड़ा प्रशंसक हूं। आपने भी शायद उसको देखा होगा। सारे देश में एक ही कोर्स है बच्चों के पढ़ाने का, इससे क्या होता है कि हमारे देश में बहुत बड़ी एकता होती है। बैसे हुआ तो इसमें यह है कि चूंकि यह शिक्षा का मामला है और जो सरकारी अधिकारी है, फौजों के या दूसरे जो हैं उनका जब ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर होने के बाद उनके बच्चों को आसानी से वहां दाखिला मिल जाये इसलिए ये खोले गये हैं। यह तो सच्चाई है ही। लेकिन जो कोर्स एक सा समान रखा है सारे देश में, उसमें आये दिन पुस्तकें बदलने का मौका नहीं रहता है जिससे कि आये दिन बच्चों पर पुस्तकें बदलने के कारण भार पड़ता है और कभी कभी पुस्तकें लिखने वालों में से आज उसको मान्यता दी कल उसको दे दी जिससे शिक्षा के मामले में कुछ भ्रष्टाचार नजर आता है वह भी नहीं रहता और एक सा कोर्स सारे देश में होने के कारण सारे देश में एकता होती है और शिक्षा का बोझ भी बच्चों पर कम पड़ता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, धर्म और राजनीति के बारे में तो बहुत विवाद हैं जो आये दिन उठते रहते हैं मैं उनके ऊपर नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मेरी एक छोटी सी मान्यता इसके बारे में है। धर्म मानव मात्र का एक है। सम्प्रदायों को धर्म समझकर आज देश और दुनिया में झगड़े हैं। धर्म तो मानव मात्र का एक

[श्री रामचन्द्र विकल]

है। हमारे धर्म के दस लक्षण जैसे धृति, क्षमा, इन्द्रिय निग्रह आदि बताये गये हैं। वेदों में सत्य, अहिंसा लिखा हुआ है। तो यह धर्म सारे मानव मात्र का एक है। कोई जाति, कोई सम्प्रदाय इससे बचा हुआ नहीं है। अहिंसा सारे प्राणी मात्र का धर्म ह, सत्य सबका धर्म है, धैर्य सबका धर्म है, अपरिग्रह सबका धर्म है। तो धर्म के मूल सिद्धांतों को न समझकर लोग सम्प्रदायों को धर्म समझकर आज दुनिया भर में कटुता फैलाये हुए हैं। जबकि धर्म तो प्राणी मात्र का एक है ऐसा मैं मानता हूं। इसमें कहीं विवाद का सवाल नहीं है। अगर धर्म के मूलरूप को कोई समझने वाले हों, या धर्म के प्रवर्तक हों तो धर्म पर कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय योग या प्राकृतिक चिकित्सा की हमारी शिक्षा प्रणाली में मान्यता है और कई बार नरसिंह राव जी ने जब वे शिक्षा मंत्री थे या खापर्डे जी ने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इस सदन में यह आश्वासन दिया कि हम योग या प्राकृतिक चिकित्सा को स्कूलों और अस्पतालों में लाने वाले हैं। लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। मैं क्यों बार-बार जोर दे रहा हूं कि आज जो हमारी बीमारियां या दवाइयां हैं ये बहुत ज्यादा हो गयी है। आदमी इतनी ज्यादा बीमारियों और दवाइयों का शिकार होते जा रहे हैं कि परेशानियां बढ़ती जा रही है। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है लेकिन अपने छोटे-छोटे अनुभव बताऊं तो मैं कहूंगा कि उनसे बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, असाध्य रोगी ठीक हो रहे है। अभी मुझे ब्रेन और हार्ट के डाक्टरों ने विलिंगडन अस्पताल के कांफ्रेंस रूम में पिछले महीने की 21 तारीख को बुलाया था और वे तीन घंटे तक मुझसे सवाल जवाब करते रहे। मैं उनके सवालों का यथोचित जवाब देता रहा। हार्ट पल्सेशन और हार्ट के मरीज चेकअप करा कर जाने के बाद दुबारा वहां नहीं गये यह मेरे पास रिकार्ड है।

एक छोटी सी क्रिया है, थोड़ी सी छोटे से आसन हैं, थोड़ी सी पद्धति बदलने से—मेरे पास रिकार्ड हैं, चिट्ठियां हैं, हम तो आत्म-हत्या के केस से बचा चुके हैं। बालकवि बैरागी ने कुछ हमारे प्वाइंट्स आज से पांच साल पहले "साप्ताहिक हिन्दुस्तान" में निकाल दिये। उसके बाद हमारे पास चिट्ठियां आई, मरीज आए और आए दिन मरीज आते हैं। मेरा तो यह छोटा सा अनुभव हैं, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग योगाश्रम चला रहे हैं। अगर हम योगा पद्धति से, प्राकृतिक चिकित्सा के असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं—यह यहां के ब्रेन और हार्ट के डाक्टर सन्तुष्ट हो सकते है, डा. मेहरोत्रा जैसे सन्तुष्ट हैं हमारी बातों से, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट योगा और प्राकृतिक चिकित्सा को स्कूलों में और अस्पतालों में शीघ्रता से लाना चाहती है? मुझें यह शिकायत भी हैं। इसको तुरन्त ला देना चाहिये। इसके लाभ तो इतने हैं कि मैं तो बता ही नही सकता।

मान्यवर, जब मैं रूस में गांधी की मूर्ति लगाने के लिए गया था तो दो दिन मेरा योगा का भाषण एक क्लब में करवा दिया। एक दिन उन्होंने ब्लड-प्रेशर को सिलेक्ट किया। ब्लड-प्रेशर वर्ल्ड की बीमारी है, रूम के लोगों ने कहा। जब मैं ब्लड-प्रेशर पर बोल रहा था कि हाई ब्लड-प्रेशर हो तो क्या करो, लो ब्लड-प्रेशर हो तो क्या करो, आसन कौनसा करो, खान-पान कैसा हो, तब एक रूसी भाई खड़े हुये—मैं तो हिन्दी में बोल रहा था। मेरा अनुवाद रशियन में होता था, एक रूसी भाई

ने मुझे से पूछा कि ब्लड-प्रेशर होता क्यों है ? मेरा अनुवाद जो करने वाला था, उसने बताया कि यह पूछ रहे हैं कि ब्लड-प्रेशर होता क्यों है ? मैं साधारण ढंग में बोला कि ब्लड-प्रेशर तो उनको होता है, जो सोचते कुछ हैं बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, उनको ब्लडप्रेशर होता है। जब मेरा अनुवाद हुआ रशियन में तो लोग स्तब्ध हो गए, क्लैपिंग किया बड़े जोर से, बोलने लगे। अगले दिन नींद का विषय सिलेक्ट किया और पूछा कि नींद न आये, तो क्या करें ? तो मैं नींद पर बोल रहा था कि स्त्री हो या पुरुष हो, पैर धोकर ही सोना चाहिए, लघुशंका करके ही सोना चाहिए, हार्ड बेड पर सोना चाहिये, डनलप निकालकर ही सोना चाहिये, तकिया हटा कर सोना चाहिये और चाय, काफी को छोड़ कर योगार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, दही-लस्सी को योगार्ट कहते हैं। फिर भी नींद न आये तो बालाखाने को जाएये। मैंने पोज भी दिखाया।

माइकेल जो वहां का सिक्योरिटी का बड़ा अफसर है, वह यहां भारत में रूस के महोत्सव में आए मेरे घर पर आए और मुझ से रात और दिन योगा की ट्रेनिंग ली। जब वह यहां आकर अशोक होटल में कमरा नं. 512 में ठहरे थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और वह मेरे पास आ गए। उसने कहा कि मैं योगा सीखना चाहता हूं। मैंने कहा कि सीखो भाई। मेरे यहां तो कैम्प लग रहा है, मैं एम० पी० को भी बुलवाता हूं, और साल में दो कैम्प करता हूं। सातों दिन वह मेरे कैम्प में रहे शिवराज पाटिल जो हमारे मंत्री हैं, वह भी हमारे कैम्प में रहे और कोहिमा में एक आध बार हमारे साथ रहे तो हमने इन्हें वज्र आसन तथा दो-तीन और मोटी-मोटी बातें बतायीं।

उसके पहले मैंने माइकेल को बोला कि आप दो शब्द बोलें। तो माइकेल रूस के आदमी की चिट्ठी मेरे पास आई है। उसने स्वयं यह लिखा है कि जब मैं इंडिया के लिए चला तो मेरी बीवी कम्पोज लेकर सोती थी जो वहां गवर्नमेंट इंजीनियर हैं, मुझे पता नहीं था।

एक माननीय सदस्य : आपोजीशन को भी योगा सिखाना चाहिये जिससे हाईपर-टेंशन न हो। . . . **(व्यवधान)**

श्री राम चन्द्र विकल : जी हां, फिर उनको क्रोध नहीं आएगा कम से कम, इसमें कोई शक नहीं है इसमें आपोजीशन का कोई सवाल नहीं है। माइकेल के शब्द में बताता हूं कि जब मैं इंडिया के लिए चला तो मेरी बीबी जो कि गवर्नमेंट में इंजीनियर हैं, वह कम्पोज लेकर सोती थी। वह मेरा नाम लेकर बोली कि उनके विचारों से कम्पोज लेना छूट गया है। तो उनकी बीवी ने यह कहा कि इंडिया में योगा समझकर आईए कि यह सारा क्या है। तो भारत की योगा प्रणाली को दुनियां के सारे लोग समझना और सीखना चाहते हैं और जिज्ञासु हैं कि भारत की संस्कृति और सभ्यता के लिए, भारत के विश्व शांति में योगदान के लिए और भारत के वसुधैव कुटुम्बकम् के लिए प्राणी मात्र में सुख कैसे हो, इस भावना का सारी दुनियां में आदर हो। हमारे यहां भी इन चीजों को दुबारा लौटा लेना चाहिये। यह मेरा कहना है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : आप मंत्रियों को भी सिखायेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

श्री राम चन्द्र विकल : बहुत से मंत्री तो आ चुके हैं। मैंने दो-तीन के तो नाम भी बताये हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : जो नहीं आए, उनको भी सिखायें।

श्री राम चन्द्र विकल : जो नहीं आए, उनके लिए भी मेरा दरवाजा खुला हुआ है मैं तो घर चला जाता हूं, जरुरी नहीं है कि वह मेरे घर में आयें। मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, जो मुझे बुलाता है, मैं तो वैसे ही चला जाता हूं, मेरा तो यह मिशन सा बन गया है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : आप योजना मंत्री को भी सिखायें।

श्री राम चन्द्र विकल : मैं किसानों पर जो टैक्स है, मैं उनको कमी का हिमायती रहा हूं और आज क्योंकि किसान इनडाएरेक्ट टैक्सों का भी बहुत बड़ा भागीदार होता है, अगर कोई इसका विश्लेषण अच्छी तरह करें तो डाइरेक्ट टैक्स जो उस पर लगे हुये हैं, उनके करों में कुछ कमी होनी चाहिये। आए दिन आबपाशी को दरें, पता नहीं क्या-क्या ट्यूबवेल्स के, रोड्स और कभी-कभी तो बिजली नहीं आती, उपसभाध्यक्ष जी पानी खेत में जाता ही नहीं है। फिर भी बेचारे को देना पड़ता है। तो ऐसे किसानों पर कुछ टैक्सों का कमी हो जाए तो मैं समझता हूं कि यह देश को पैदावार में बहुत सहयोगी हो सकता है।

मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे समय दिया लेकिन सेनाओं में जो जातियों के नाम से रेजिमेंट्स बनी हुई हैं मैं उसका हामी नहीं हूं। यह उस वक्त बनी जब यहां अंग्रेजी हकूमत थी। अंग्रेजो हकूमत के बाद आज जब हम हैं तो जातियों के नाम से रेजिमेंट्स का होना सेनाओं में उसको हटा देना चाहिये। आप रेजिमेंट्स का नाम प्रांतों के नाम से डाल सकते हैं, देशभक्तों के नाम से बना सकते हैं, नम्बरों के नाम से रेजिमेंट्स बना सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन रेजिमेंट्स से जातियों के नाम हटाया जाना देश हित में है। हमारी बहुत सी बातें जो सेनाओं के अन्दर आती रहती हैं मैं कहना नहीं चाहता लेकिन थोड़ा सा कहीं न कहीं प्रभाव हो ही जाता है लोगों पर क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है इसलिए मैं यह सेनाओं के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं।

(उपसभाध्यक्ष (श्री आनन्द शर्मा) पीठासीन हुए)

उप सभाध्यक्ष महोदय, हमारी सीमाओं पर जो सुरक्षा बल लगे हुये हैं उन पर भी थोड़ा सा ऐसे लोग रखने चाहियें जो हमारी सीमाओं के बारे में सही-सही जानकारी रखते हों, खास तौर से पाकिस्तान की सीमा के बारे में। सीमा सुरक्षा बल के लोगों में भी किसी न किसी धर्म के लोग आते हैं और उसमें भी जाति का न होकर के अच्छी तरह से हमको भर्ती करना चाहिये और भर्ती के नियमों में भी हमको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिये। उपसभाध्यक्ष महोदय, सेनाओं में कद और सीना पहले के मुकाबले में कुछ कम हो गए हैं। आखिर क्यों? पहले यह 32-34 होता था लेकिन अब 30-32 कर दिया गया है। तो आए दिन हमारे स्वास्थ्य की स्थिति कम होती जा रही है उसी हिसाब से शायद यह कम हुआ होगा। लेकिन जो और योग्यतायें हैं उनमें सबसे पहले देशभक्ति की भावना होनी चाहिये। देशभक्ति की भावना हमारे लोगों में है या नहीं यह भी देखना चाहिये। इस तरह के लोगों को हमारी सर्विस में होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और प्रधान मंत्री जी की अनेक नीतियों का, जो उन्होंने घोषित की हैं, भविष्य के लिए, चाहे वह सामाजिक या आर्थिक न्याय के नाम से हैं, चाहे हमारी बैकवर्ड क्लासेज के लिए, चाहे जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए हैं और चाहे जनजातियों के लोगों के लिए हैं, उन सबकी तरफ से बजट में थोड़ा ख्याल किया गया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं।

SHRI DARBARA SINGH: Sir, I have to make a suggestion. There is one category of people who have been completely ignored. The military people, like those belonging to the INA, who had revolted against the Britishers, have not been taken care of. When they revolted, many of them were put to death or hanged and others were put to jail in different parts of the country. The sentence given to them ranged between five and fifteen years of imprisonment. They were released along with the INA people, but nothing has been done for their welfare. I have all the respect for the INA. I bow my head before these people. This is a fact that these people revolted against the Britishers and that they should be given all the pensionary benefits which are due to them. That is my suggestion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): I am sure the Minister will take note of it and consider this.

SHRI AJIT PANJA: I have taken note of it.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): I rise to support these Budget proposals given by the Central Government. The most important thing is that it is the first time when everybody has supported and welcomed this particular Budget, though it is not considered to be a very popular Budget. Our Prime Minister—in spite of this being an election year—has not been very narrow-minded to take measures which will look that they are meant only for election purposes. Even the habitual critics like the *Indian Express*, have not only expressed their views very favourably in their editorials. On the Ist March when the editorial said, I am not reading that but I just want to tell you from my memory because it was a very interesting editorial from the *Indian Express* which said that in the budget the hon. Finance Minister has been able to maintain the deficit at a much lower level in spite of the present problems of the country. Since 1982-83 when the deficit was about Rs. 4000 crores, every year the deficit has been increasing steadily. In fact, last year it went up to the extent of Rs. 11,000 crores whereas this year according to the proposals it is about Rs. 7000 crores and I believe that the Finance Ministry will maintain it and monitor the income and expenditure in such a way that deficit will definitely not increase beyond Rs. 7000 crores. This will go a long way in not increasing the prices, inflation will be controlled and the poor people will get a great relief. With very wise taxation proposals the revenue increse has been one of the largest to the extent of Rs. 1,200 crores. Normally Rs. 400—500 crores through fresh taxation are levied but this time it is a very big sum. When I discuss about fresh taxation proposals, I compliment the Minister that most of the taxation is on luxury items meant for the rich people like T.V.s, motor cars, cigarettes, liquor, etc. In this connection, I would like to appeal to the Finance Minister to kindly consider if the increase in duty on black and white T.V.s can be decreased if not completely removed because it is a misnomer to think that black and white T.V.s are also being used by the rich people. On the one hand it is our Government's policy to establish a T.V. Tower in every part of the country—we are inaugrating more and more T.V. Towers in different parts of the country—and on the other hand the black and white T.V.s are becoming costlier. You increase duty on colour T.V.s even more and I will support it because colour T.V.s are a luxury item even in developed countries. I really do not find it reasonable if you make the black and white T.V s so expensive. If you go even to the smallest houses, small worker's house, dock worker's house, factory worker's house and in fact, in the rural areas, you will find TV antennas and they are increasing day by day. Sir, this must be taken very seriously. Similarly, the increase of tax on two-wheelers, motorbikes, 50 cc or something like that, I do not think it is very fair for those very middle class people who are using such kinds of two-wheelers. This also you must reconsider. You can make the cars more expensive. There is no problem but not the two-wheelers. I compliment the hon. Finance Minister for increasing the duty on cigarettes. Sir, cigarettes not only spoil the health of a man but cigarettes also spoil the health of those who are around him. In fact, they are polluting the atmosphere. Whatever additional duty you want to further add on this, it would be most welcome. Similarly, increase in duty on liquour is a most welcome measure because according to my long experience with these poor workers specially in towns, the day the salary is given, the entire salary is spent in a few days only on alcohol drinking. It must be made prohibitive. I hope that that kind of a step might make some people completely stop drinking liquor which will help their families and the health of the society. The welcome measure taken by the Finance Minister is about the thrust on unemployment especially in rural areas by introducing new schemes and also by increasing the outlay for the existing scheme. I would go into more details a little later. The decision of the Finance Minister to

[Shri Santosh Bagrodia]

maintain the Defence Budget at the same level like last year at Rs. 13,000 crores is very much welcome. This clearly indicates the intention of our Government. Our Government wants peace not only in the country but in the entire region. By maintaining this Budget like last year, they have proved to the neighbours that they need not fear and our intentions are very clear and that we do not want too much spending on defence and similarly other countries should fall in line because most of the neighbouring countries are equally poor, if not poorer, which will help in the overall development of smaller countries and of the region in general. My special gratitude to our hon. Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, for unprecedented help to the State of Rajasthan last year and I should say, during this current accounting year when we had the worst drought. The help of Rs. 600 crores in one year was more than what was given as drought relief during the last forty years since Independence. This one year's help was more than the entire amount put together. It is because of this great help that not a single Rajasthani had to die. Sir, in spite of this kind of expenditure, unexpected expenditure, our growth in the country has not been negative. Even then, we could have a positive growth of about four per cent.

Coming to education, it is a very important par of our life. Most unfortunately, we still have only about 20 per cent literates in the country. A large population is still i literate especially in the rural areas. Whatever budget we provide for this will be short, will not be enough for the kind of need for more schools, especially primary schools. When we talk of education, I would also like to make a suggestion here. Of course, our Prime Minister is also trying at it with the New Education Policy. We must make our education more job-oriented. The present education system does not help at the end of the education so that the students can get jobs or can be self-employed at the end of their education. Of course, it is not the concern of the Finance Ministry. But, overall, I will request the Ministry concerned to look into this aspect also.

Coming to international trade, our balance of payments position is nearly beig maintained for the last many years. It sometimes goes a little up; sometimes it goes down. In fact, I am talking of the reserves. The exports are increasing. There is no doubt about it. During the last two years, we had an export increase of 25 per cent every year. What I am very much concerned with is, it is not increasing at the speed at which it should have increased. You will be surprised to know, Sir, that a small country like Sri Lanka is exporting more than our country. I cannot really go into explaining why it is so. I am sure our hon. Finance Minister can look into it and find out why they could export much more than us.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Do you mean total or particular commodities?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Total. Yes. Sri Lanka is exporting more than India. This is amazing and I will appreciate if our Ministry can go into the details and take more positive steps for even greater exports.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): Are you talking of the volume of exports or...?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: The value of exports. The total value of exports of Sri Lanka. Say, if Sri Lanka is exporting one billion dollars worth of goods we are exporting goods worth Rs. 200 crores or Rs. 200 millions. I do not have the figures. I cannot disclose many things as you know. But I can only tell you...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): Of course, the Minister may disclose during the course of his reply as to what the actual position is.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Maybe, after some time, on 27th or so, I will give the figures on this point. At the moment I don't have those figures readily available.

On one point, on anti-poverty programmes, I would like to compliment our honourable Minister for earmarking Rs. 8652 crores. This is about four times the budget of 1980-81. Similarly the subsidy on fertilizerers also. The subsidy on fertilizers is to the extent of Rs. 5173 crores. On fertilizer subsidy I would like to say a few words. There is a very strong feeling that this fertilizer subsidy is not meant for the farmers, it is meant for the public sector fertilizer manufacturers or the private sector fertilizer manufacturers; that means, for the industry. I personally believe that this particular subsidy is entirely for the farmers. I would like the honourable Minister to explain this situation more clearly to the country so that this misgiving in the minds of the villagers, of the farmers, is removed. Forget about the political advantages of it. At least the people for whom we are doing it, they must know that this is being done for them. When the fertilizers are sold in the villages, what is actually happening is that the people are told, "All right, so many rupees for a bag", and the villagers pay that price and buy it. For the villagers that is the price of the bag. They really do not know that the price of the bag is actually much more, that it is Rs. 100 or so and they are getting it only for Rs. 60, that they are getting it at a subsidised rate. So, this is what has to be told to them. One way of doing this is by having a marking on the bag. All fertilizer companies make a marking on the bag indicating when it is packed, what its weight is, its place, etc. Along side these markings, they should also be asked to mark that this is the cost price and this is the subsidised price. If we can implement it without any practical problems, we should make it an obligation on the part of the fertilizer companies to mark that this is the cost price of the fertilizer and this is the subsidy given by the Government, and this is the net price. If there is any difficulty in the procedure, then at least the invoices which the dealers are giving should show very clearly this is the price, this is the subsidy and all that.

Coming to industrial growth, it has become a fashion: the more you give, the more the people cry, the more the people expect. Industrial growth during the last few years has been quite good; especially the policies of the Government have been extremely industrial growth oriented. And that is why we had sustained growth of industries in our country. The only problem which our industry is feeling, the pinch at the moment, is that they were very much protected. It is a very peculiar situation. When imports were restricted, industrialists were the people who would shout from the rooftops of their houses, "We are working under too many restrictions, we cannot import raw material, we cannot import this, that..." They say that they are working under too much of restrictions and that they cannot import raw materials and they cannot import know-how. So, they say, "Sorry. We cannot produce better than this." Earlier, this process was started by our late Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, the policy of more liberalisation. This process has further been accelerated by our present Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, under which you can import any know-how, you can import any raw material, but he wants quality and he wants cheaper prices. The result is that protection is over, protection is reduced, and it is the same group of industrialists and it is the same group of people who are again shouting, who are again crying, that they are doomed, that they are dying, because the material is coming from outside at lower prices and their industries are not able to sustain their profits because protection is reduced. I am at a loss to understand as to what they really want. I must compliment the Government that with this growth, with this liberalisation, the quality of our proudcts has also improved. I will not say that it has improved to international standards as yet. But the sense of responsibility for improving the quality, the sense of urgency, the sense of necessity, has come to their minds. Today, an industrialist thinks twenty times before going into an industry with a twenty-year-old technology or with a twenty-year-old know-how. They do not even think of the technology of today, but they now think of the techno-

[Shri Santosh Bagrodia]

logy of tomorrow and the entire credit goes to our Government which has opened all avenues and given all kinds of facilities. Now, I will give some figures. Steel itself has increased by 10.1 per cent, cement by 12 per cent and fertilizers by 26.2 per cent. So far, we have been importing a large quantity of fertilizers. But, during the last year, we hardly imported any urea and that is a very good feature.

Sir, at this juncture, when I talk about industries, I would like to mention a few words about our public sector undertakings.

Sir, when our first Prime Minister, the late Pandit Jawaharlal Nehru, thought of these issues, he had a very noble vision. His idea was that the wealth of the country should not be used by a few persons or it should not be concentrated in the hands of a few people. His idea was, "Whatever wealth is there, why not we use it for our own reproduction so that it can be distributed in more hands?". With this view, Sir, these public sector undertakings were developed. But, most unfortunately, in spite of his noble views and noble ideas and noble intentions, the implementation could not go on in the way it was expected. From the beginning, the cost of putting up a unit went on increasing because of heavy delays, when the production came, nobody was concerned about the quality. If the quality was there, nobody was concerned about the inventories. Nobody was concerned about the cost. In the name of social justice we went on giving subsidies. The result was that crores and crores of rupees which were invested in these public sector units needed more crores and crores of rupees only for their survival, without giving any kind of returns. I am not talking about the profit motive. I am not talking that the industry must make a profit like any other private industry. I am not meaning that. But I want to know one thing that simply because we do not make a profit does it mean that we can increase the cost at any level? Cost of steel, cost of coal, cost of power? Is it comparable to any cost anywhere in the world, developed or under-developed countries? The result is that our economy became an economy of shortages, an economy of quotas, where corruption developed more and more. One tonne of copper, I will make three thousand rupees in premium, ten thousand rupees in premium. One tonne of steel, I will make two thousand rupees a tonne. The attitude either for the trader or for the industrialists or for he officers or also for he politicians became who can get his own cut or a share out of the miseries of 800 million people of this country? A small group of people who was controlling the economy of this country, either in public sector or the private sector or in politics or in bureaucracy, started playing with the future of the millions and millions of our countrymen.

Sir, we must go into the details why this is happening and why this happened. The idea was noble, the intentions were good. I believe my own justification for this position is, that it was entirely because of implementation. We lacked in implementation. Let us not be ashamed of saying that. Let us analyse ourselves because it is still not too late. I do not know. Probably we have one lakh crores of rupees invested in public sector. How do we make it more useful for the welfare of the country?

One strong point which I would make a mention here is a simple word: accountability. There is no accountability. The Chairman will say: I am going by papers. The Engineer will say: Look, this material came later, what will I do? The Finance Manager says he is not able to produce the right quality. I come from a joint family. This is what happens in our families also sometimes. I look after the finance. My brother looks after the sales. The other man looks after the production. All have equal powers. Nobody is the boss of others. Everybody has equal powers. The result is that we try to blame each other. It has been happening. I may say: Look, I produced beautiful

but my brother is not able to sell. I tell my fathers: Well, he is not able to sell, he is a useless fellow. This is what is happening in these institutions. We must find out a solution to this. I do not believe there is no solution. And if we have no solution we have to change our policies for the betterment of the country. We must see now we put one rupee which gets us the proper return. We cannot go on sinking money.

I will give you another example. I don't know whether I should name it. But I know of a small company in one of the very poor States like Bihar which has been nationalised. It employs about 500 people. Will you believe that the Bihar Budget provides for Rs. 2 crores for losses in that unit? How do you get these Rs. 2 crores just to feed these 500 people? We must think over it very seriously. Maybe some of my friends might think that I am trying to be anti-Public Sector. Well, if they are not able to produce wealth for the country, then I don't mind saying that I am anti-Public Sector. There are units in the Public Sectors like the IFFCO. Their productivity is quite good. I welcome them. We have a unit in Kerala. Probably it is Keltron. I understand that they are very efficient. If there are efficient units in our country, I welcome them. I salute them and I request the other units to learn from them.

Coming back to the anti-poverty programmes, I compliment our hon. Finance Minister for the IRDP Programme which has helped 25 million families during this year. I hope next year it will help even more people and more families. Similarly, the NREP and RLEGP Programmes have created 67 crore man-days. On this point, I would like to speak a few words about our workers and especially about our very poor workers working in the rural areas for whom these NREP and RLEGP Programmes have been prepared. I visit these villages. I fully agree and there are no two opinion about it that our industrialists, our businessmen and our traders may not be hundred per cent honest. Our character has become a character of dishonesty.

I go to these villages. They are supposed to work eight hours a day. They are supposed to dig about 5 maunds of earth in a day. In most of the places I have noticed that they work only for two hours a day. It is done obviously in collusion with the *sarkar* or the group leader. If this is the level of our honesty, then we have a very poor future for our country. We have to try and find ways to change this character. I go to my poor brethren in the villages and say: "Look, the Congress Government is giving you job. The job is to make a road to your own village. The road is not going to go to Delhi. The road is meant to help your own children. It is for your own village. Why don't you make it honestly? I am not talking about Gandhiji's *shramdan*. At least be honest to this work. If you are honest, you will create five roads instead of one road in your area."

As Rajivji has said, out of one rupee, probably only one-sixth of the rupee goes to the development work for which all of us sitting here, sitting there and all of us all over the country are responsible. If we all join hands and look into it, I am sure it will at least go up to 50 paise and I am sure then the development of the country will be much faster and it will be unimaginable.

Sir, I have been talking for quite sometime with most of the Ministries about increasing the efficiency. It is all right we can give a kind of fertilizer subsidy, we can give seeds at reduced rates. But, Sir, we must find out effective ways of increasing the fertility in our fields. Unless it is increased faster, whatever support price we give to the farmers, they will never become richer than what they are now. There, we are developing a bad habit of dependence on doles. They will become more self-sufficient if we can give them better inputs, better equipment. As you know, Sir, even now our land is tilled by those two bullocks. Why cannot we provide community tractors or tractors from the Government side in each village? If this is given to the farmers, then it will be automatically mechanised. Like this,

[Shri Santosh Bagrodia]

all kinds of seeds are available all over the world for cross-breeding. If we use them, they will increase the fertility of the land. Similarly, Sir, the unit cost of every item has to go down and that will go down only by using improved measures. There is something known as an economic factor which will depend on demand and supply. Whatever you may say, if we have two tonnes of something and the need is ten tonnes, there will be a premium in the market. Now, who pays that premium is immaterial, who takes the advantage of that premium is immaterial, who takes the material for consumption is immaterial. But the fact remains that there will be a premium whether we like it or not. The solution to this problem is that we have to think of economic excesses instead of economy of shortages. This basic thinking has to change.

Sir, the scheme of integrated child development is a very wonderful scheme though we still have the problem of child labour in our country. We want to employ ten-year old boys at our houses. We want to employ 13 year or 14 children in our beedi manufacturing establishments. We want to employ such small children in our mines. It is because of various reasons. They cannot unite. We can exploit them. We can exploit them by making them work for 12 hours instead of 8 hours. We can pay them probably one-fourth of what a normal worker gets. To safeguard these children, this scheme is working very effectively in 2,200 blocks of our country. I wish it can extend in more areas, especially in urban areas also.

About housing, there was a time when we had been talking about *roti, kapra and makan*. About *roti*, I should say, in our country at least the poorest of the poor are able to eat something. About *kapra* I would say if you go to the villages, you find that they are getting at least some cloth. But this *makan* or his housing problem is still a big problem. What to speak of villages, even in urban areas, in fact, the housing problem is more acute. I wish some of us go and see the plight...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): You have to wind up.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I will stop righ now.

DR. RATNAKAR PANDEY: He is speaking like V.K.R.V. Rao.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): Please complete your point. I have only asked you to wind up in the next two minutes. You must know that you have taken 43 minutes.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I thought I have enough time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): Total time that Congress Party has is nine hours. You can yourself calculate.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I will complete, at least for the time being, as per Chairman's wish, because otherwise they all will go without listening to me.

I request the Finance Minister to find out more schemes for housing for the poor people.

With these suggestions I once more thank you for giving me longer time to speak. Thank you.

PROF. (MRS) ASIMA CHATTERJEE (Nominated): Mr. Vice-Chairman, I would like to thank you most sincerely for giving me this opportunity to participate in the debate on Budget proposals. We are all aware that the Budget just acts like a mariners's compass which would indicate the direction that would lead to economic growth and social justice and self-reliance. In this respect, the Budget has fulfilled the purpose and clearly explains the short-term and long-term objectives of our economic policy which demands modernisation for enhancing

productivity not only in the agricultural sector but also in industry. Following the policy of the Government, the country has made remarkable progress in agriculture, which is the backbone of our economy, and our productivity has been enhanced. Oils and oilseeds technology mission has proved successful as there has been high production of oilseeds, saving Rs. 1000 crore in foreign exchange. Not only the farmers have to be congratulated for that but the Government also should be congratulated for providing adequate irrigation facilities, chemical fertilizers, pesticides and all incentives to the farmers. This year, about Rs. 5000 crores have been set apart for giving thrust to further production in agriculture. In this context, I would like to suggest that more attention should be paid to dry land farming, as 70 per cent of our agriculture is under dry land farming and 42 per cent of total food production comes from this area. Soil analysis has also to be done to study the depletion of the soil nutrients and humic acid after harvesting for future productivity. And despite enhancement in productivity, our progress is being marred by population explosion. Therefore, population control is...

6 00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): Prof. Chatterjee, you may continue tomorrow because it is already 6 P.M. now. The House is now adjourned and we will meet again tomorrow at 11 A.M.

The House then adjourned at one minute past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 16th March, 1989.

MGIPMRND—M—35 RS—